



मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल

"चयन भवन" मेन रोड न.1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल 462011

Phone : +91-755-2578801-02, Fax: +91-755-2550498, website: www.esb.mp.gov.in, E-Complaint Id : Complaint.esb@mp.gov.in

समूह-5 के अन्तर्गत नर्सिंग स्टॉफ, पैरामेडीकल स्टॉफ व अन्य समकक्ष पदों हेतु

संयुक्त भर्ती परीक्षा- 2024

परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियमपुस्तिका

ऑनलाईन आवेदन-पत्र			
आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि : 26-11-2024		आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि : 10-12-2024	
आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि : 26-11-2024		आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि : 15-12-2024	
परीक्षा दिनांक व दिन		10-01-2025 शुक्रवार से प्रारंभ	
परीक्षा शुल्क			
सीधी भर्ती /संविदा भर्ती पदों हेतु	अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये		रु. 500/- प्रति प्रश्न पत्र
	केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस./ दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये		रु. 250/- प्रति प्रश्न पत्र
	केवल सीधी भर्ती - बैकलॉग हेतु		कोई शुल्क नहीं
ऑनलाईन आवेदन - कियोस्क के माध्यम से आनलाईन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एम पी आनलाईन का पोर्टल शुल्क रुपये 60/- देय होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20/- रु. देय होगा।			

आनलाईन परीक्षा पद्धति समय सारणी

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिये रिपोर्टिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय	उत्तर अंकित करने का समय
10-01-2025 शुक्रवार से प्रारंभ	प्रथम	प्रातः 7:00 से 8:00 बजे तक	08:50 से 09:00 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 09:00 से 11:00 बजे तक (2:00 घंटे)
	द्वितीय	दोपहर 01:00 से 2:00 बजे तक	02:50 से 03:00 बजे तक (10 मिनट)	दोपहर 03:00 से 05:00 बजे तक (2:00 घंटे)

टिप्पणी :-

- अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है।
- बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र,पैनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। यु.आई.डी.ए.आई.(UIDAI)के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
- अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड / ई-आधार कार्ड /आधार कार्ड की छायाप्रति /आधार नंबर /आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य है। परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है।
- परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। **बायोमेट्रिक सत्यापन के समय आधार अनलॉक होना चाहिए।**
- परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा मोबाइल फोन, केलकुलेटर, लॉग टेबल्स, डिजिटल वॉच, सन ग्लासेस एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
- ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
- परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है
- किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
- आवेदन-पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण मंडल द्वारा नहीं किया जाकर नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है। अतः कम्प्यूटर आधारित online परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता (Eligibility) पूर्णतः प्रावधिक (Provisional) होगी।
- उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा।
- मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया/सहरिया एवं भारिया अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अकार्यपालिक पदों के लिये अपने आवेदन पत्र समस्त आवश्यक प्रमाण-पत्र संलग्न करते हुये हार्डकोपी में निर्धारित (नियम पुस्तिका के प्रारूप-2 में) आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि तक ई.एस.बी. को न भेजते हुये सीधे संबंधित विभाग को में पृथक-पृथक आवेदन प्रेषित करना होगा। ई.एस.बी. को प्रेषित आवेदन पत्र अमान्य माना जायेगा।
- विभाग के पद कार्यपालिक होने की स्थिति में भर्ती हेतु आदिम जनजाति, (बैगा, सहारिया/सहरिया एवं भारिया) के अभ्यर्थियों को परीक्षा से छूट का प्रावधान नहीं होगा वे अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा हेतु आनलाईन आवेदन करें। (ऐसी स्थिति में नियम पुस्तिका की बैगा, सहारिया एवं भारिया से संबंधित सभी कण्टिकायें विलोपित मान्य होगी।



मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल

"चयन भवन" मेन रोड न.1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल 462011

समूह-5 के अन्तर्गत नर्सिंग स्टॉफ, पैरामेडीकल स्टॉफ व अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा- 2024

आयोजन के नियम एवं निर्देश

विषय-सूची

स.क्र.	अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्र.
1.	1	समूह-5 के अन्तर्गत नर्सिंग स्टॉफ, पैरामेडीकल स्टॉफ व अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा- 2024	03-13
2.	2	विभागवार रिक्त पदों का विवरण तथा आरक्षण तालिका	14-50
3.	3	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली	51-63
4.	4	परीक्षा का पाठ्यक्रम	64-73
6.	प्रारूप-1	यात्रा देयक प्राप्ति के लिये स्वयं के बैंक खाता विवरण पत्रक	74
7.	प्रारूप-2	मध्यप्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय जैसे :- बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन पत्र	75

अध्याय-01

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

क्रमांक सी 3-10/2013/1/3 : : भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, राज्य शासन के विभिन्न विभागों/संस्थाओं से संबंधित उन पदों पर, जिन्हें कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर रखा गया है, संयुक्त चयन परीक्षा के माध्यम से, भर्ती के लिए तथा मानदण्ड नियत करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ -

- (1.) इन नियमों का संक्षिप्त नाम “मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम, 2013” है।
- (2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ - इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

- (क) “नियुक्ति प्राधिकारी” से अभिप्रेत है वह प्राधिकारी जो कि संबंधित पद पर नियुक्ति करने के लिए सक्षम है;
- (ख) “न्यूनतम अर्ह अंक” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा में अर्ह होने के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक;
- (ग) “सरकार” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;
- (घ) “राज्यपाल” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के राज्यपाल;
- (ङ.) “संस्था” से अभिप्रेत है शासकीय विभागों द्वारा विनियमित विभिन्न निगम/मण्डल/आयोग/बोर्ड/संस्थाएँ;
- (च) “कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा” से अभिप्रेत है उन सभी पदों पर भरती के लिए, जिन्हें कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर रखा गया है, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित परीक्षा;
- (छ) “सफल अभ्यर्थियों की सूची” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा में न्यूनतम अर्ह अंक तक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की अवरोही क्रम में सूची;
- (ज) “अन्य पिछड़े वर्गों” से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85/पञ्जीस/484 दिनांक 26 दिसंबर, 1984 में यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
- (झ) “शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति” से अभिप्रेत है निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के उपबंधों के अधीन आने वाले व्यक्ति;
- (ञ) “पद” से अभिप्रेत है राज्य के विभिन्न विभागों/संस्थाओं के वे समस्त पद जो कि लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर हैं;
- (ट) “भर्ती वर्ष” से अभिप्रेत है संबंधित वर्ष की 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की कालावधि;
- (ठ) “अनुसूचित जाति” से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा ऐसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (ड.) “अनुसूचित जनजाति” से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (ढ) “राज्य” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य;
- (ण) “उपक्रम” से अभिप्रेत हैं राज्य के मण्डलों, निगमों, आयोगों, स्वायत्तशासी निकायों, सोसाइटियों, सहकारी बैंकों के रूप में घोषित उपक्रम;
- (त) “बोर्ड अथवा मण्डल” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल ;

3. लागू होना :- (1) ये नियम राज्य के सभी विभागों/संस्थाओं को लागू होंगे।

- (2) सरकारी विभागों, विभागाध्यक्षों तथा संस्थाओं के कार्यालयों से संबंधित सभी पदों को भरने के लिए चयन, मण्डल द्वारा, उसके द्वारा नियम मानदंडों के अनुसार किया जाएगा। सभी विभागों/संस्थाओं को ऐसे चयन, उनके स्वयं के स्तर पर या किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से संचालित करवाया जाना प्रतिबंधित रहेगा।
- (3) इन नियमों में अभिव्यक्त उपबंधों का मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम, 1961 पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं होगा।

4. **विभागीय भरती नियमों को मान्यता प्रदान किया जाना** - वे समस्त उपबंध जो इन नियमों में जोड़े गए हैं, और जो वर्तमान में विभागीय भरती नियमों में समायोजित नहीं किए गए हैं, संशोधित किए जाएंगे और सभी विभागों द्वारा अपने विभागीय भरती नियमों में सम्मिलित किए जाएंगे और तब तक जब तक कि विभागीय भरती नियम संशोधित नहीं हो जाते इन नियमों के उपबंध संशोधित समझे जाएंगे।

5. **अर्हकारी अंक** - (1) बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षा में, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होंने समूहवार निर्धारित कुल अंकों में से न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों। इस प्रयोजन हेतु अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रतिशत तक अंकों की छूट देते हुए 40 प्रतिशत न्यूनतम अर्हता अंक होंगे। म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. सी-3-8/2016/1/3, भोपाल दिनांक 22 सितंबर 2022 के अनुसार राज्य शासन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के उम्मीदवारों को न्यूनतम अर्हक अंकों में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है, किन्तु उम्मीदवारों का चयन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये बनाई गई सूची में से 'मेरिट' के आधार पर किया जावेगा।

(2) इन नियमों के अधीन संचालित परीक्षा के परिणामों में, अर्हकारी सूची में केवल पात्र अभ्यर्थियों को ही रखा जाएगा परंतु पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा जब तक कि -

- (क) कोई विभाग/उपक्रम रिक्त पद के लिए बोर्ड से कोई मांग नहीं करता है ;
- (ख) अभ्यर्थी का नाम मांगकर्ता विभाग/उपक्रम को भेज नहीं दिया जाता है;
- (ग) अभ्यर्थी ने नियुक्ति के लिए शासन/बोर्ड द्वारा निर्धारित समस्त पात्रता को पूर्ण न कर लिया हो; और
- (घ) विभाग ने अभ्यर्थी के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी न कर दिया हो।

6. विस्तार -

- (1) राज्य के सभी विभाग/उपक्रम उनकी रिक्तियों को बोर्ड द्वारा अंतिम रूप प्रदान की गई सफल अभ्यर्थियों की सूची में से भरेंगे जिसमें यथा उल्लिखित भविष्य में सृजित किए जाने वाले पद भी सम्मिलित हैं।
- (2) बोर्ड, पात्र अभ्यर्थियों के नाम, यदि उनके द्वारा ऐसी मांग की जाए तो सभी विभागों/संस्थाओं/निगमों/मण्डलों/आयोग/स्वायत्तशासी निकायों/सोसाइटियों/सहकारी बैंकों को भी अग्रेषित करेगा।

7. **सेवा समूह - सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्र. 468, भोपाल, दिनांक 04 अक्टूबर 2013, संशोधन परिपत्र क्र. 74, भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2015, क्र. 416, दिनांक 10 अक्टूबर 2016 एवं क्र. 06, दिनांक 10 फरवरी 2017 के अनुसार कंडिका 7 सेवा समूह में संशोधन किया गया है। विभिन्न पदों के लिए सेवा समूह, जिसके लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी, नीचे दी गई तालिका में दिए गए अनुसार होंगे, अर्थात् - तालिका**

स.क्र.	सेवा समूह	पद का संवर्ग/पदनाम	श्रेणी
1.	समूह-5	समूह-5 के अन्तर्गत नर्सिंग स्टॉफ, पैरामेडीकल स्टॉफ व अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भरती परीक्षा- 2024	तृतीय श्रेणी

8. **परीक्षा का आयोजन** - ऊपर कण्डिका 7 में उल्लिखित सेवा समूह-5 के लिए परीक्षा विभिन्न विभागों के लिए बोर्ड द्वारा अंतिम रूप प्रदान किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर प्रत्येक संवर्ग/पद के लिए आयोजित की जाएगी। संयुक्त अर्हता परीक्षा योजना नीचे तालिका में दिए गए अनुसार होगी अर्थात् - तालिका

ऑनलाईन परीक्षा पद्धति के लिये

स.क्र.	समूह	प्रश्न पत्र की संख्या	कुल अंक	प्रश्न पत्र का विवरण	अंक
1.	समूह-5	01	100	(अ) सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरूचि	25
				(ब) तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न	75

09. पात्रता की शर्तें यथा शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक अर्हताएं :-

9.1 अभ्यर्थी को उसके द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को मांगकर्ता विभाग के विभागीय भरती नियमों के उपबंधों के अनुसार शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक अर्हता धारण करना अनिवार्य होगा, इस प्रकार की योग्यता का उल्लेख मांगकर्ता विभाग द्वारा बोर्ड को भेजे गए मांग पत्र में अनिवार्य रूप से करना होगा। पदों के विभिन्न समूहों की परीक्षा के लिए निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता अनिवार्य होंगी, अर्थात् -

समूह-5

(क) अभ्यर्थियों ने हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) के साथ ही साथ संबंधित पत्रोपाधि (डिप्लोमा) उत्तीर्ण की हो या उच्च अर्हता अथवा अध्याय-2 में उल्लेखित विभागों द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें।

9.2 अभ्यर्थियों को आवेदित पद के लिए प्राथमिकता अंकित करनी होगी। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में अर्ह हो जाता है तथा बोर्ड द्वारा उसकी अभ्यर्थिता की अनुशंसा की जाती है तथा यदि वह नियुक्ति के लिए निर्धारित मानदण्डों को पूर्ति नहीं करता है और उसे नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में उसकी अभ्यर्थिता नामंजूर हो जाएगी और वह अन्य पद के लिए अहस्तांतरणीय होगी तथा इसका पूर्ण दायित्व संबंधित अभ्यर्थी का होगा न कि बोर्ड का।

9.3 आयु सीमा -

(अ) उन समस्त पदों के लिए जिनके लिए बोर्ड संयुक्त कनिष्ठ सेवा अर्हता परीक्षा आयोजित कर रहा है, न्यूनतम आयु-सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु-सीमा 40 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्गों, विभागों/निगमों/मण्डलों/आयोगों/स्वायत्तशासी निकायों/होमगार्ड में कार्यरत शासकीय सेवकों तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 45 वर्ष होगी। अधिकतम आयु सीमा के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी संशोधन लागू समझे जाएंगे। आयु सीमा की गणना भरती के चालू वर्ष की 1 जनवरी अर्थात् 01 जनवरी 2024 की स्थिति में की जाएगी :

(ब) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के परिपत्र क्रं. 73/104/2022/आ.प्र./2021, दिनांक 02 फरवरी 2022 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट का प्रावधान नहीं है।

परंतु यह और कि अधिकतम आयु सीमा में छूट जो कि शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिक को प्रदान की जानी है, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/दिशा निर्देशों के अनुसार होगी:

परंतु यह भी कि सभी प्रकार की छूट सम्मिलित करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष (संविदाकर्म एवं नियम क्र. 14 में दिए वर्गों को छोड़कर) से अधिक नहीं होगी।

9.4 (1) मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा :-

- अभ्यर्थी की आयु की गणना 01 जनवरी 2024 से निर्धारित की जावेगी।
- सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रं. सी-3-11/12/1/3, दिनांक 03.11.2012, पत्र क्र./सी-3-11/2012/3 भोपाल दिनांक 13 जनवरी 2016, में संशोधित आदेश क्र. सी 3-8/2016/3-एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 एवं सी 3-8/2016/1/3 भोपाल दिनांक 04 जुलाई 2019 के अनुसार निम्न संवर्गों के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों की आयु सीमा की गणना निम्नानुसार है :-

क्र.	भर्ती का तरीका	लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय/चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए
		न्यूनतम/ अधिकतम आयु सीमा (वर्ष में)
1	खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए	18 से 40
	म.प्र. के मूल निवासी अनु.जा., अनु. जनजा. अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय / निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों / नगर सैनिक/ दिव्यांगजन / महिलाओ (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए	18 से 45 (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट सहित)

नोट:- सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट के लिए आवश्यक वैध प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश शासन से मान्य/सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ होना आवश्यक है।

9.5 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटें :-

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पूराना नाम आदिम जाति, हरिजन) एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के संवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के जापन क्रं. सी-3-10-85-3-1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट दी जावेगी।
- विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के जापन क्रं. सी-3-18- 85-3-1, दि. 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

(iii) किसी स्थिति में अधिकतम आयु 45 वर्ष (संविदाकर्मी एवं नियम क्र. 14 में उल्लेखित वर्गों को छोड़कर) से अधिक नहीं होगी।

9.6 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों की आयु सीमा के संबंध में अन्य विवरण :-

- (i) ऐसे उम्मीदवार, जो कि छंटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा से अधिक से अधिक सात वर्ष की अवधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :- शब्द “छंटनी” किये गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य अथवा संघटक इकाई में से किसी भी इकाई की अस्थायी

सरकारी सेवा में कम से कम छः माह तक निरन्तर रहा हो तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया था।

- (ii) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :- शब्द “भूतपूर्व सैनिक” से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरन्तर सेवा करता रहा हो तथा जिसका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता यूनिट (इकाई) की सिफारिशों के फलस्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक (सरप्लस) घोषित किया गया हो :-

- (1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व निवृत्ति-रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन सेवा मुक्त किया गया हो,
- (2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा भर्ती किया गया हो, और
 - (क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर
 - (ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूरी होने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो,
- (3) मद्रास सिविल यूनिट (इकाई) के भूतपूर्व कर्मचारी
- (4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें अनुबन्ध पूरा होने पर सेवामुक्त किया गया हो, जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं।
- (5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवा मुक्त किया गया हो।
- (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हों।
- (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक न बन सकेंगे।
- (8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो,

वास्तविक विस्थापित स्वर्णकारों के अर्थात् उन स्वर्णकारों के मामले में भी जिनके पास श्रम विभाग के ज्ञापन क्र. 3345-4005-सोलह, तारीख 6 मई 1963 के अनुसार पहचान पत्र हो, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक की शिथिल की जा सकेगी।

ऐसा व्यक्ति जो 1.1.1963 के बाद रा.छ.सेना में पूर्णकालिक केडट अनुदेशक के रूप में भरती किया गया हो, अपनी प्रारंभिक वांछित सेवावधि की समाप्ति पर राष्ट्रीय छात्र सेना से निर्मुक्त होने पर अपनी वास्तविक आयु में से राष्ट्रीय छात्र सेना में की गई सेवा की अवधि घटा सकेगा, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह किसी विशिष्ट पद के लिए विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

टीप : (1) उपर्युक्त उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत जिन उम्मीदवारों को चयन के योग्य माना गया हो वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद, चयन के लिए उपस्थित होने के पूर्व या पश्चात सेवा से त्याग-पत्र दे दें, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी हो जावे तो वे नियुक्ति के पात्र बने

रहेगें। अन्य किसी भी मामले में इन आयु सीमाओं में छूट नहीं दी जावेगी। विभागीय उम्मीदवारों को चयन के लिए उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

- (2) यदि कोई आवेदक प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटों में से निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है, तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में ही छूट का लाभ प्राप्त होगा। यह छूट निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा के अतिरिक्त होगी। सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ब) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रं. 524/575/2015/आप्र/एक भोपाल, दिनांक 25 जून 2015 के आधार पर भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1985 के नियम-5 में निम्नानुसार प्रावधान है:-

“आयु-सीमा के संबंध में विशेषा उपबंध-राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में किसी रिक्त स्थान पर चाहे वहर इन नियमों के अधीन आरक्षित हो या अनारक्षित हो, नियुक्ति के लिये प्रत्येक ऐसे भूतपूर्व सैनिक को जो संघ के सशस्त्र बलों में लगातार कम से कम छह मास तक सेवा में रहा हो, उसकी वास्तविक आयु में से ऐसी सेवा की कालावधि घटाने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा यदि इसके परिणामस्वरूप आयु उस पद या सेवा के लिये, जिसके लिये वह नियुक्ति चाहता है, चिह्नित अधिकतम आयु-सीमा में तीन वर्ष से अधिक न हो, तो उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि वह आयु-सीमा से संबंधित शर्त को पूरा करता है।”

सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के संशोधन परिपत्र क्रमांक 74, भोपाल दिनांक 16 फरवरी 2015 के अनुसार कंडिका 10 में उपनियम-03 के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतः स्थापित किया गया है, जो निम्नानुसार है -

- (क) विभिन्न विभागों के पदों एवं उनकी योग्यता आदि भिन्न-भिन्न रहती है, विषायवार परीक्षा आयोजन करने के कार्य को सुगम बनाने की दृष्टि से, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल संलग्न परिशिष्ट (कंडिका-07 सेवा समूह) में अंकित समूहों में वर्णित उप समूहों के अनुसार परीक्षा आयोजित कर सकेगा, इसे साथ-साथ वर्णित पदों की वांछित योग्यता/ अनुभव को विभागों की आवश्यकता को देखते हुए यदि किसी समूह के पद को अन्य समूह में रखते हुए परीक्षा आयोजित करता है तो वह कार्य भी मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल कर सकेगा।

10. अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाना -

- (1) अभ्यर्थी अपने आवेदन-पत्र ऑनलाईन पद्धति भरेंगे। किसी प्रकार का ऑफलाईन आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (2) अभ्यर्थी एक से अधिक पद के लिए विकल्प दे सकेगा और वह अपनी प्राथमिकता उल्लेखित कर सकेगा और विभाग/ कार्यालय और पद के लिए भी अपना अधिमान चिह्नित कर सकेगा।

11. मण्डल द्वारा परीक्षा परिणामों की घोषणा और सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी करना

- (1) बोर्ड, सफल अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर आवेदित पद अनुसार प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची जारी करेगा।
- (2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग का कोई उम्मीदवार अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित (ओपन) सूची में स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसकी अनारक्षित श्रेणी में गणना की जायेगी और ऐसे उम्मीदवार को उसकी संबंधित आरक्षित प्रवर्ग की संख्या में नहीं जोड़ा जावेगा।
- (3) आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा यदि वह बिना किसी छूट के अनारक्षित अभ्यर्थी के समान अर्ह पाया जाता है। ऐसे अभ्यर्थी को आयु संबंधी छूट प्राप्त नहीं होगी।
- (4) आरक्षण का लाभ देते हुए संयुक्त खुली सूची जारी करने के पश्चात् अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के सफल अभ्यर्थियों की पृथक-पृथक सूची जारी की जाएगी जिसमें संबंधित आरक्षित श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों के नाम होरिजेन्टल आरक्षण के अनुसार भी सम्मिलित किए जाएंगे।
- (5) यदि आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी अर्थात् महिला/भूतपूर्व सैनिक/शारीरिक रूप से निःशक्त अभ्यर्थी जो अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित श्रेणी में स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसकी गणना अनारक्षित/बिना वर्ग/ओपन श्रेणी में की जाएगी। इसके बाद प्रवर्गवार सूची में अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण, संबंधित प्रवर्ग के अभ्यर्थी को ही दिया जाएगा। अनुसूचित जातियों/जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/महिलाओं, शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति और भूतपूर्व सैनिक संबंधित श्रेणी कम्पार्टमेंट में स्थान प्राप्त कर सकेंगे।
- (6) समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवर्षिता लिखित परीक्षा में अंकों के आधार पर निर्धारित की जावेगी। लिखित परीक्षा में भी अंक समान होने पर आयु के आधार पर आपसी सहवर्षिता निर्धारित की जावेगी। यह

आवश्यक नहीं है कि अन्तिम CUT-OFF मार्क पर समान अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को चयन सूची में लाया जावे।

12. नियुक्ति के लिए मण्डल की अनुशंसाएँ -

- (1) मण्डल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नामों की, नियम 11 के अनुसार मूल रिक्तियों के पदों के अनुसार, संबंधित विभागों में नियुक्ति के लिए अनुशंसा करेगा।
- (2) संबंधित विभाग अर्हता से संबंधित अपेक्षित दस्तावेजों का परीक्षण करेगा और मण्डल द्वारा भेजे गए अभ्यर्थियों के नामों की औपचारिकताएँ पूरी करेगा तथा नियुक्ति आदेश जारी करेगा। नियमानुसार बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का परीक्षण अथवा सत्यापन नहीं किया जाता है।
- (3) चयनित अभ्यर्थी को एक विभाग आवंटित किया जाएगा जहाँ अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश में उल्लेखित अंतिम तारीख तक पदभार ग्रहण करना होगा। ऐसा न करने पर संबंधित परीक्षा में उसकी अभ्यर्थिता स्वतः ही रद्द हो जाएगी।

13. सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची की विधिमान्यता की अवधि -

- (1) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. सी-3-9/2016/1-3 भोपाल दिनांक 10/10/2016 की कण्डिका 3 एवं 4 के अनुसार परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी सूची के (तब तक विभागों से प्राप्त जानकारी के आधार पर उपलब्ध कुल पद संख्या) 15 प्रतिशत की प्रतीक्षा सूची बनाई जावेगी। ऐसी भर्ती परीक्षा की प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने से एक वर्ष अथवा नवीन परीक्षा परिणाम घोषित होने तक (जो भी पहले हो) प्रभावी रहेगी।
- (2) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. एफ 3-17/2014/1/3 भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 के द्वारा मण्डल की परीक्षाओं में चयनित अभ्यर्थियों को समय सीमा में नियुक्ति आदेश प्रदाय किये जाने संबंधी निर्देश दिये गये हैं। जिसके अन्तर्गत मण्डल के माध्यम से चयन सूची जारी होने के दिनांक से अधिकतम तीन माह के भीतर चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित किया गया है।

14. शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गों को प्राथमिकता -

1. सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा जारी आदेश क्रमांक सी 3-9/2019/1/3 भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2022 के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 14/04/1972 के निर्देश में विभिन्न वर्गों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए प्राथमिकता क्रम एवं इनके साथ ही जाप क्रमांक 172/2184/1/3/8 दिनांक 27 फरवरी, 1982 के द्वारा जनगणना 1981 अतिशेष एवं जाप क्रमांक एफ सी-3-31-90-49-3 दिनांक सितम्बर, 1990 निर्वाचन अतिशेष कर्मचारियों की प्राथमिकता निम्नानुसार निर्धारित की गई है:-

01	हाल के भारत-पाक संघर्ष में अंग ग हुए सैनिकों को	ए-1
02	हाल के भारत-पाक संघर्ष में मृत सैनिकों के प्रत्येक सैनिक के परिवार के अधिक से अधिक 2 आश्रित व्यक्तियों को	ए-2
03	भूतपूर्व सैनिकों (Demobilised Defence forces Personnel –Exservicemen –other ranks) को	ए-3
04	निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी	बी
05	अतिशेष कर्मचारियों को	बी
06	जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी	बी-1
07	कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को	बी-2
08	राष्ट्रीय छात्र (NCC) के उम्मीदवारों को जिनके पास "सी" प्रमाण-पत्र	सी-1
09	वर्मा एवं सिलोन से आये हुए भारतीय नागरिकों को -	सी-2

2. कंडिका 1 में उल्लेखित वर्गों की सूची में राजस्व विभाग के अन्तर्गत कार्यरत सेक्शन राईटर्स को सम्मिलित किया जाता है।
3. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के असाधारण राजपत्र क्रमांक सी 3-10/2013/1/3 दिनांक 04 अक्टूबर 2013 से राज्य शासन अंतर्गत स्वीकृत सभी कनिष्ठ पदों पर चयन म.प्र. कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम 2013 अंतर्गत मण्डल द्वारा आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाना नियत किया गया है।
4. कंडिका 3 में उल्लेखित परीक्षा की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुये शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गों को प्राथमिकता दिए जाने के विषय में अब राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि -
 - 4.1 कंडिका 1 में उल्लेखित वर्गों के पारस्परिक प्राथमिकता क्रम को समाप्त किया जाता है।
 - 4.2 कंडिका 1 एवं 2 में उल्लेखित वर्गों के उम्मीदवारों को मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित की जाती है।

4.3 कंडिका 1 एवं 2 में उल्लेखित वर्गों के उम्मीदवारों को मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक में 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक प्रदान किये जायेंगे।

15. प्रमाण पत्रों का सत्यापन तथा नियुक्ति की प्रक्रिया -

- (1) परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची के आधार पर विभाग, शैक्षणिक, तकनीकी और व्यावसायिक अर्हताओं की उपाधि/पत्रोपाधि/प्रमाणपत्रों का सत्यापन करेगा।
- (2) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नियुक्ति के संबंध में आवश्यक कार्रवाई, अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों, चरित्र प्रमाण पत्र का सत्यापन आदि की कार्यवाही सुनिश्चित करना सम्बन्धित विभाग का दायित्व होगा। नियमानुसार बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का परीक्षण अथवा सत्यापन नहीं किया जाता है।
- (3) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को आरक्षण के लाभ हेतु न्यूनतम पांच वर्ष की संविदा सेवा का प्रमाण पत्र।
- (4) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया ई.डब्ल्यू.एस. का प्रमाण पत्र।
- (5) अन्य कोई आवश्यक दस्तावेज विभाग की मांग अनुसार।

16. आरक्षण -

- (1) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों एवं मध्यप्रदेश राजपत्र 530 दिनांक 24 दिसम्बर 2019 के अनुसार, अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित लंबवत (वर्टिकल) आरक्षण लागू होगा -

अनुसूचित जनजाति	-	20 प्रतिशत
अनुसूचित जाति	-	16 प्रतिशत
अन्य पिछड़ा वर्ग	-	27 प्रतिशत (माननीय न्यायालय के निर्णयाधीन)
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	-	10 प्रतिशत

परन्तु जिला स्तर के पदों पर, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी जिलेवार आरक्षण रोजर लागू होगा।

सम्पूर्ण एवं अधिक जानकारी हेतु सामान्य प्रशासन विभाग की Website- <http://gad.mp.gov.in> को देखें।

(2) क्षेत्रीय आरक्षण -

- (क) मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्र 304 दिनांक 03 अक्टूबर 2023 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 नियम 3 में उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया गया है :-

"किन्हीं सेवा नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य के अधीन सेवा में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर समस्त पदों (वन विभाग को छोड़कर) का पैंतीस (35) प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित होगा तथा उक्त आरक्षण क्षेत्रीय और प्रभागवार (होरिजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेंट-वाइज) होगा।"

- (ख) सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल, के आदेश क्र.एफ 8/4/2001/आप्र/एक(पार्ट)भोपाल, दिनांक 03/07/2018 के अनुसार दिव्यांगजन को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 तथा मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 12 के तहत प्रत्येक सरकारी स्थापन में सीधीभर्ती के प्रक्रम में भरे जाने वाले द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणीकी लोक सेवाओं एवं पदों में दिव्यांगों के लिए 6 प्रतिशत आरक्षण निम्नानुसार किया गया है :-

1.	दृष्टिबाधित और कमदृष्टि,	(VH)	1.5 प्रतिशत
2.	बहरे और कम सुनने वाले,	(EH)	1.5 प्रतिशत
3.	लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी	(LD)	1.5 प्रतिशत
4.	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता	(MD)	1.5 प्रतिशत

परन्तु यह आरक्षण संबंधित विभाग द्वारा निःशक्त या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पहचाने और चिन्हित किए गए पदों के लिए दिया जाएगा।

- (ग) मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों में आरक्षण) नियम, 1985 के अनुसार क्रमशः तृतीय श्रेणी, के लिए 10 प्रतिशत तथा चतुर्थ श्रेणी के लिए 20 प्रतिशत क्षेत्रीय आरक्षण प्राप्त होगा।

(3) संविदा कर्मियों हेतु नियम :-

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक सी-5-2/2018/1/3 भोपाल, दिनांक 05 जून 2018 के संदर्भ में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 22 जुलाई 2023 के अनुसार राज्य शासन के विभिन्न विभागों, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, राज्य/जिला स्वास्थ्य समिति एवं म.प्र. सर्वशिक्षा अभियान मिशन में संविदा पर नियुक्ति अधिकारियों/ कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाने हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, संविदा अधिकारियों/ कर्मचारियों का आशय है वर्तमान अथवा पूर्व में संविदा पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी :-

- 3.1 विभाग के सीधी भर्ती के नियमित पद के समकक्ष संविदा पदों पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत पद अथवा विभाग में सीधी भर्ती के रिक्त पद के 50 प्रतिशत तक के पद (दोनों में से जो कम हो), संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आरक्षित रखे जायेंगे। इन निर्देशों अथवा संदर्भित पूर्व निर्देशों के अंतर्गत आरक्षण सुविधा का एक बार लाभ लेकर नियुक्ति प्राप्त कर लेने (joining) उपरांत पुनः लाभ की पात्रता नहीं होगी।
- 3.2 इस आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न संविदा सेवक पात्र होंगे :-
 - 3.2.1 विभाग में नियमित भर्ती के रिक्त पद के समकक्ष संविदा पद पर आवेदक न्यूनतम 05 वर्ष तक संविदा आधार पर नियुक्त रहा हो। संविदा पद से नियमित पद की समकक्षता का निर्धारण इस परिपत्र की कंडिका-3 के अनुसार किया जाएगा। 05 वर्ष की यह अवधि रिक्त पद के विरुद्ध आवेदन करने के दिनांक को पूर्ण होना चाहिए। इस आशय का प्रमाण-पत्र उसे प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण-पत्र यथा स्थिति जिला अथवा राज्य स्तर के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।
 - 3.2.2 सेवा-नियमों में प्रश्नाधीन नियमित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता तथा अन्य सुसंगत अनुभव जो वांछित है, उन्हें वह पूर्ण करता हो।
- 3.3 यदि किसी संविदा अधिकारी/कर्मचारी ने एक ही संविदा पद पर कार्य न करते हुए विभिन्न पदों पर कार्य किया है तो 05 वर्ष की उपरोक्त अवधि की गणना पूर्ण होने पर वह उस श्रेणी के नियमित पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेगा, जो इस परिपत्र की कंडिका-3 के अनुसार नियमित पद से समकक्षता निर्धारण के पश्चात 05 वर्ष की अवधि में निम्नतम श्रेणी का रहा हो।
- 3.4 अगर किसी संविदा अधिकारी/कर्मचारी को संविदा के पद से किसी अवधि में हटा दिया गया हो तथा उसे पुनः उसी पद पर अथवा किसी अन्य पद पर संविदा पर नियुक्ति प्राप्त हो गई हो तो 05 वर्ष की संविदा सेवा की अवधि की गणना सेवा से पृथक रहने की अवधि को घटा कर की जाएगी।
- 3.5 किसी भी विभाग में कार्यरत संविदा पर नियुक्ति अधिकारी/कर्मचारी अन्य किसी भी विभाग के द्वारा विज्ञप्त पद पर आवेदन कर सकेगा, जिसके लिए वह इस परिपत्र की कंडिका-3 के अनुसार नियमित पद के समकक्षता एवं अर्हता रखता हो। यह आवश्यक नहीं है कि जिस विभाग में संविदा पर सेवक नियुक्त है, उसी विभाग में उसे नियमित नियुक्ति के अवसर दिए जाएं।
- 3.6 राज्य शासन में नियमित नियुक्ति होने की स्थिति में संविदा अधिकारी/कर्मचारी को पूर्व की संविदा सेवाओं का किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा।
- 3.7 संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए इस प्रकार आरक्षित किए गए नियमित पदों पर भर्ती की पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया जायेगा, जिसके लिए नियुक्तकर्ता विभाग द्वारा न्यूनतम कटऑफ अंक निर्धारण एवं अन्य अर्हताओं के संबंध में नियम बनाये जाकर चयन प्रक्रिया का निर्धारण किया जाएगा।
- 3.8 संविदा अधिकारी/कर्मचारी एक अथवा एक से अधिक प्रकार के संविदा पदों पर नियुक्त रहा हो सकता है। ऐसी स्थिति में संविदा पद के जिस समकक्ष नियमित पद पर वह नियुक्ति हेतु आवेदन करता है, उसके बराबर या उच्चतर संविदा पद पर वह जितने वर्ष कार्यरत रहा, उतने वर्ष की छूट उसे निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा में मिलेगी। आयु संबंधी समस्त छूट सम्मिलित करते हुए संविदा अधिकारी/कर्मचारी की अधिकतम आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी। विभाग स्तर पर समकक्षता स्तर की कार्यवाही इस परिपत्र की कंडिका-3 के अनुसार होगी।
- 3.9 संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए समकक्ष नियमित पदों पर नियुक्ति हेतु आरक्षित वे पद उस स्थिति में अन्य उम्मीदवारों से भरे जायेंगे, जिन पदों को भरे जाने के लिए विहित पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के पालन उपरांत पर्याप्त संख्या में संविदा अधिकारी/कर्मचारी अंतिम रूप से चयनित अथवा उत्तीर्ण नहीं हो पाते। संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आरक्षित पद रिक्त रहने की दशा में कैरी फारवर्ड नहीं किए जाएंगे।

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. सी-5-2/2018/1-3(पार्ट फाईल), दिनांक 18/10/2022 के अनुसार संविदा अधिकारी/कर्मचारी हेतु आरक्षित पदों पर होरिजेंटल आरक्षण लागू होता है। अतः पर्याप्त संख्या में संविदा कर्मियों की उपलब्धता न होने पर शेष पदों को रोस्टर अनुसार गैर संविदा के अभ्यर्थियों से भरा जावेगा।

- 3.10 नियमित पदों के विरुद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया में अनुसूचित जाति/ जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 3.11 विभागों का इस नीति के अनुरूप अपना प्रशासकीय सेटअप तथा भर्ती नियमों में यथोचित परिवर्तन करने होंगे। यहाँ आवश्यक हो वहाँ भर्ती में प्रतिबंध से आवश्यक छूट भी प्राप्त की जावेगी। किसी विभाग द्वारा संविदा अधिकारियों/ कर्मचारियों के संबंध में यदि कोई सुविधा पूर्व से प्रदत्त की जा रही हो तो वह यथावत् रख सकेगा।
- (4) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक 07-11/2019/आ.प्र./एक दिनांक 22 नवम्बर, 2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(ई.डब्ल्यू.एस.) के लिए सीधी भर्ती के प्रकरण पर उद्भूत होने वाली रिक्तियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
- (5) (क) समस्त प्रकार के आरक्षित प्रवर्गों की गणना तथा अध्यपेक्षा के प्रारूप में ऐसे आरक्षित पदों के व्यौरों का उल्लेख करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभाग पर होगा। बोर्ड द्वारा पदों की संख्या की गणना नहीं की जाएगी यदि गणना में कोई त्रुटि पाई जाती है तो बोर्ड इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- (ख) शारीरिक रूप से दिव्यांग या निःशक्त अभ्यर्थियों में निःशक्तता की प्रतिशतता का सत्यापन चिकित्सीय बोर्ड द्वारा किया जाएगा और भूतपूर्व सैनिकों की दशा में निदेशक, सैनिक कल्याण बोर्ड मध्यप्रदेश द्वारा किया जाएगा और सत्यापन की प्रक्रिया विभाग/विभागाध्यक्ष/संस्था द्वारा ही की जाएगी बोर्ड द्वारा नहीं।
- (ग) उपरोक्त सभी प्रकार के आरक्षण के संबंध में आरक्षित प्रवर्गों को विभिन्न प्रकार की छूट/शिथिलता इस निमित्त लागू अधिनियमों तथा नियमों के उपबंधों के अनुसार दी जाएगी।
- (घ) परीक्षा का अंतिम परिणाम आने के पूर्व भर्ती में आरक्षण के संबंध में यदि म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोई संशोधन किया जाता है तो नवीन संशोधन का पालन किया जाएगा एवं तदसमय लागू आरक्षण अनुसार परीक्षा परिणाम जारी किया जावेगा।
- (6) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के परिपत्र क्रं. सी/3-2/97/3/एक, दिनांक 10 फरवरी 1997 के अनुसार यदि चयन प्रक्रिया में किसी भी आरक्षित प्रवर्ग अथवा अनारक्षित प्रवर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित पद, उपयुक्त महिला अभ्यर्थी की अनुपलब्धता के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते हैं, तो ऐसे रिक्त पद आगामी वर्ष के लिये अग्रेषित (carry forward) नहीं किये जायेंगे, और ऐसे रिक्त पद को दूसरे आरक्षित अथवा अनारक्षित प्रवर्ग की महिला से भी नहीं भरा जायेगा। ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे, जिस प्रवर्ग के लिए वह आरक्षित है।

17. आवेदन शुल्क -

आवेदन शुल्क का विनिश्चय मण्डल की कार्यपालक समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें परीक्षा शुल्क भी सम्मिलित होगा। शुल्क में छूट जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ई.डब्ल्यू.एस. तथा दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को लागू हैं, मध्यप्रदेश के उन मूल निवासियों को ही लागू होगी जिन्हें मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ई.डब्ल्यू.एस. और दिव्यांगजन घोषित किया गया है :

परन्तु अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों, ई.डब्ल्यू.एस. तथा दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया गया समझा जाएगा तथा वह आरक्षण, आयु सीमा में छूट या इस प्रवर्ग के लिए किसी अन्य लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।

परन्तु यह और कि ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं और क्रीमीलेयर में आते हैं, आरक्षण के लाभ, आयु सीमा में छूट या इस प्रवर्ग के लिए किसी अन्य लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।

18. यात्रा भत्ता -

- (1) सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार उनके यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति संबंधित विभाग द्वारा की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को, जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए हैं एवं ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें शारीरिक रूप से विकलांग प्रमाणित किया गया हो, को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उनके यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाएगी। यात्रा व्ययों के लिए हकदार होने की दृष्टि से अभ्यर्थी को सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना होगा जो स्वप्रमाणित होगा और जिसकी एक प्रति संलग्न करेगा तभी अभ्यर्थी को यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधित विभाग द्वारा की जाएगी।

- (2) मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-2/2013/नियम/चार भोपाल दिनांक 29 जून 2015 के द्वारा परीक्षा एवं प्रशिक्षण के लिये आने वाले परीक्षार्थियों को यात्रा व्यय (विशेषतः आरक्षित श्रेणी के) का भुगतान केवल ई-भुगतान पद्धति से ही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। सभी संबंधित अभ्यर्थी संलग्न **प्रारूप-1** में अपना बैंक खाता विवरण, परीक्षा में उपस्थिति का प्रमाण इत्यादि आवश्यक रूप से संलग्न कर संबंधित विभाग को प्रेषित करेंगे।

19. परीक्षा केन्द्र - परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण मण्डल के मापदण्डों के अनुसार अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर किया गया जावेगा। प्राथमिक रूप से परीक्षा शहरों की सूची अध्याय-3 के खंड-स में दी गई है।

20. निरर्हता -

- (1) मण्डल अभ्यर्थी की केवल वह जन्मतिथि स्वीकार करेगा जो हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी या किसी अन्य समकक्ष प्रमाण पत्र पर उल्लेखित है जो वास्तविक जन्मतिथि का उल्लेख करता है। आवेदन पत्र में एक बार जन्म तिथि का उल्लेख हो जाने पर, किसी भी स्थिति में जन्म तिथि में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। मण्डल ऐसे रद्द कर दिए गए आवेदन के लिए परीक्षा फीस लौटाने के दायित्वाधीन नहीं होगा।
- (2) (क) कोई पुरुष अभ्यर्थी, जिसका विवाह केवल इस कारण पंजीकृत नहीं हो सका हो कि उसकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं या जिसकी पत्नी जीवित है और वह पुनर्विवाह कर लेता है, ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार का यह समाधान न हो जाए कि ऐसा करने के लिए कोई विशेष कारण या औचित्य है और इसके लिए सरकार द्वारा ऐसे पुरुष अभ्यर्थी को इस नियम से छूट दी जा सकेगी।
- (ख) कोई महिला अभ्यर्थी, जिसका विवाह केवल इस कारण से पंजीकृत नहीं हो सका हो कि उसके पति की एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं या उसकी एक पत्नी जीवित है और वह पुनर्विवाह कर लेती है ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगी जब तक कि सरकार का यह समाधान न हो जाए कि ऐसा करने के लिए कोई विशेष कारण या औचित्य है और इसके लिए सरकार द्वारा ऐसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम से छूट दी जा सकेगी।
- (ग) कोई अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र होगा यदि समय-समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के उपबंधों के अनुसार 26 जनवरी, 2001 के पश्चात् उसे कोई तीसरी संतान नहीं होती है।

21. अभ्यर्थी की मानसिक और शारीरिक स्थिति -

उम्मीदवार का मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिये और उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे उसके द्वारा विशेष कर्तव्यों का निर्वहन प्रतिकूलतः प्रभावित हो सकता हो, यदि कोई उम्मीदवार जो ऐसा चिकित्सा परीक्षा के पश्चात् जो यथास्थिति, शासन या नियुक्ति प्राधिकारी विहित करें, इन अपेक्षाओं के अनुसार संतोषजनक न पाया जाए, नियुक्त नहीं किया जायेगा, केवल ऐसे उम्मीदवारों का चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा, जिनके संबंध में नियुक्ति के लिए विचार किये जाने की संभावना हो

22. आवेदनों का रद्द किया जाना -

ऐसे आवेदन जो अपूर्ण हैं और जो विहित प्रारूप में नहीं हैं या जिनके साथ परीक्षा शुल्क नहीं है, रद्द कर दिए जाएंगे तथा मण्डल का विनिश्चय अंतिम होगा।

23. अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण का दावा -

- (1) आरक्षण का दावा कर रहा अभ्यर्थी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया समुचित और विधिमान्य जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।
- (2) आरक्षण का दावा कर रहे अभ्यर्थी के पास मध्यप्रदेश के किसी जिले के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र होगा और वह मण्डल या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। यदि अभ्यर्थी ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो ऐसी अभ्यर्थिता या चयन का दावा रद्द हो जाएगा। ऐसे रद्दकरण का दायित्व केवल अभ्यर्थी का होगा।
- (3) ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को, जो आयु में शिथिलीकरण का दावा कर रहे हैं, उनके मंत्रालय या उस कार्यालय द्वारा जहां अंतिम उपस्थिति दर्ज की हो, जारी किया गया मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें पदभार ग्रहण करने की तारीख तथा रक्षा सेवाओं से उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख का उल्लेख हो, यदि उसे मितव्ययिता इकाई द्वारा अतिशेष घोषित करने की अनुशंसा के आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है तो उसके रोजगार कार्यालय में पंजीयन की, यदि कोई हो, सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

24. अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए आधार -

किसी अभ्यर्थी की, जो निम्नलिखित किन्हीं आधारों पर दोषी पाया जाता है, अभ्यर्थिता रद्द हो जाएगी, जिसने -

- (क) आनलाईन (लिखित) परीक्षा में किसी भी रीति में इस प्रकार सहयोग अभिप्राप्त किया है जिससे उसकी अभ्यर्थिता प्रभावित हुई है; या
- (ख) प्रतिकूलता किया हो; या
- (ग) किसी व्यक्ति से प्रतिकूलता का कार्य करवाया हो; या
- (घ) अभिलेखों को कूटचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किया गए हों जो रूपांतरित किए गए हों; या
- (ङ) ऐसे विवरण दिए हों, जिसमें ऐसी तात्त्विक जानकारी छिपाई गई हो, जो कि चयन के लिए आवश्यक हो; या
- (च) किसी अन्य अनियमित या अनुचित साधन के साथ परीक्षा में भाग लिया हो; या
- (छ) परीक्षा कक्ष में किन्हीं अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या उपयोग करने का प्रयास किया हो; या
- (ज) परीक्षा कक्ष में परीक्षा के कार्य में लगे हुए अधीक्षक को कोई शारीरिक क्षति की धमकी दी हो या धमकी दिलवाई हो; या
- (झ) प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी को दिए गए दिशा निर्देशों या आदेश और परीक्षा कक्ष में अधीक्षक या किसी अन्य कर्मचारी द्वारा दिए गए मौखिक निर्देश का उल्लंघन किया हो; या
- (ञ) परीक्षा कक्ष में इस प्रकार दुरुव्यवहार किया हो जो आपराधिक अभियोजन के लिए उसे उत्तरदायी ठहराता हो।
- (ट) अन्य कोई आवश्यक कारण, जो मण्डल को उचित प्रतीत हो।

25. नागरिकता एवं स्थाई निवासी के संबंध में :-

- (I) पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार
- (क) भारत का नागरिक हो।
- (ख) नेपाल का नागरिक हो सकता है।
- (ग) यदि (ख) हो तो म.प्र. सिविल सेवा भर्ती नियम 1961 के लागू नियम के अन्तर्गत प्रमाण पत्र दिया जाना आवश्यक है।

नोट:- किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो इस बात के अध्यधीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा म.प्र.सिविल सेवा भर्ती नियम 1961 के अनुसार उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण पत्र अंततः जारी कर दिया जाए।

- (II) ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित/ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा।

26. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, के पत्र क्र. सी 3-5-2015-3-एक भोपाल, दिनांक 31 जुलाई, 2015 के अनुसार मण्डल द्वारा संचालित परीक्षाओं हेतु वांछित अतिरिक्त योग्यता का उल्लेख न किया जाना। अर्थात् मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम, 2013 के नियम-4 में विभागीय भर्ती नियमों को मान्यता दिये जाने का प्रावधान है।

अतएव मण्डल के माध्यम से आयोजित होने वाली परीक्षाओं हेतु न्यूनतम अर्हता के अतिरिक्त वांछनीय अनुभव व वांछनीय योग्यता या उसके आधार पर वरीयता दिये जाने का उल्लेख विभागों द्वारा नहीं किया जाए। इसके अतिरिक्त पदों का विवरण भेजते समय उक्त पदों हेतु न्यूनतम न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये।

27. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की फीस प्रति पूर्ति

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्र. सी-3-9/2016/1-3, भोपाल, दिनांक 25/07/2017 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की फीस प्रति पूर्ति की प्रतिपूर्ति राशि भुगतान संबंधित विभाग द्वारा किया जायेगा। विभाग अपने बजट में नवीन मद सृजित कर मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल को फीस की प्रतिपूर्ति का भुगतान किए जाने का प्रावधान का प्रस्ताव विभागीय बजट में समाविष्ट करेंगे। दिव्यांगजन एवं ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के अभ्यर्थियों की फीस प्रतिपूर्ति के संबंध में शासन द्वारा जारी निर्णय/निर्देश लागू होगा।

28. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक सी-3-9/2016/1/3 भोपाल, दिनांक 10/10/2016 के की कण्डिका क्रमांक 2 के बिन्दु क्रमांक 5 के अनुसार भर्ती परीक्षा के पद संख्या एवं विभागों के नाम घटाये-बढाये जा सकेंगे।

29. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक सी. 3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 के अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।

अध्याय – 2

समूह-5 के अन्तर्गत नर्सिंग स्टॉफ, पैरामेडीकल स्टॉफ व अन्य समकक्ष पदों की सीधी भर्ती व बैकलॉग-सीधी भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा- 2024

पदों का एकजाई विवरण

स. क्र.	पदनाम	पद कोड	पद संख्या	प्रश्न-पत्र कोड
1	नर्सिंग ऑफिसर, स्टॉफ नर्स	29, 34, 35, 42	55	A
2	फार्मासिस्ट ग्रेड-2	03, 37, 47, 60	103	B
3	लेबोरेट्री टेक्नीशियन, टेक्नीशियन, टेक्नीशियन असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट,	02, 06, 07, 11, 12, 16, 17, 21, 22, 33, 41, 46, 52, 53, 61	323	C
4	रेडियोग्राफर, डार्क रूम असिस्टेंट, रेडियोग्राफर/रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन,	01, 36, 40, 43, 45, 55	76	D
5	ओ.टी. टेक्नीशियन	04, 31	144	E
6	ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट	56, 65	05	F
7	ऑप्टोमेट्रिस्ट	25, 50	11	G
8	डेंटल हाईजिनिस्ट, डेंटल मैकेनिक, डेंटल टेक्नीशियन	38, 39, 44, 54, 68	11	H
9	प्रोस्थेटिक एंड आर्थोटिक टेक्नीशियन	48, 51, 66	03	I
10	स्पीच थेरेपिस्ट	05, 10, 15, 20	04	J
11	रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन	49	03	K
12	एनेस्थेसिया टेक्नीशियन	26, 30, 67	07	L
13	ई.ई.जी. टेक्नीशियन	32	01	M
14	सी.एस.एस.डी. टेक्नीशियन	27	06	N
15	लैब अटेंडेंट, डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, ओ.पी.डी. अटेंडेंट, ड्रेसर ग्रेड-2, डायलिसिस अटेंडेंट	08, 09, 13, 14, 18, 19, 23, 24, 28, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 69	129	O
योग :-			881	

विभागवार पदों का विवरण

प्राथमिकता क्रम हेतु विभाग का नाम, जिनमें पद रिक्त हैं		पद कोड	पद	भर्ती का प्रकार	अना	श्रेणीवार उपलब्ध पद संख्या					कार्यपालिक/ अकार्यपालिक
						EWS	अजा	अजजा	अपिव	कुल	
1. संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल		01	रेडियोग्राफर	सीधी भर्ती	17	07	10	13	18	65	अकार्यपालिक
		02	लेबोरेट्री टेक्नीशियन	सीधी भर्ती	44	16	26	32	44	162	अकार्यपालिक
		03	फार्मासिस्ट ग्रेड-2	सीधी भर्ती	26	09	15	19	25	94	अकार्यपालिक
		04	ओ.टी. टेक्नीशियन	सीधी भर्ती	38	14	23	29	39	143	अकार्यपालिक
2. संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल	(1) शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सतना	05	स्पीच थेरेपिस्ट	सीधी भर्ती	01	0	0	0	0	01	अकार्यपालिक
		06	टेक्नीशियन	सीधी भर्ती	11	03	04	04	07	29	अकार्यपालिक
		07	टेक्नीशियन असिस्टेंट	सीधी भर्ती	14	04	06	06	11	41	अकार्यपालिक
		08	लैब अटेंडेंट	सीधी भर्ती	11	03	04	04	07	29	अकार्यपालिक
		09	डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट	सीधी भर्ती	02	0	01	0	01	04	अकार्यपालिक
	(2) शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सिवनी	10	स्पीच थेरेपिस्ट	सीधी भर्ती	01	0	0	0	0	01	अकार्यपालिक
		11	टेक्नीशियन	सीधी भर्ती	04	01	01	03	01	10	अकार्यपालिक
		12	टेक्नीशियन असिस्टेंट	सीधी भर्ती	06	01	01	05	02	15	अकार्यपालिक
		13	लैब अटेंडेंट	सीधी भर्ती	06	02	02	07	03	20	अकार्यपालिक
		14	डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट	सीधी भर्ती	02	0	0	01	01	04	अकार्यपालिक
	(3) शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर	15	स्पीच थेरेपिस्ट	सीधी भर्ती	01	0	0	0	0	01	अकार्यपालिक
		16	टेक्नीशियन	सीधी भर्ती	04	01	02	0	03	10	अकार्यपालिक
		17	टेक्नीशियन असिस्टेंट	सीधी भर्ती	07	01	03	0	04	15	अकार्यपालिक
		18	लैब अटेंडेंट	सीधी भर्ती	10	02	03	0	05	20	अकार्यपालिक
		19	डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट	सीधी भर्ती	02	0	01	0	01	04	अकार्यपालिक
	(4) शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नीमच	20	स्पीच थेरेपिस्ट	सीधी भर्ती	01	0	0	0	0	01	अकार्यपालिक
		21	टेक्नीशियन	सीधी भर्ती	05	01	01	01	02	10	अकार्यपालिक
		22	टेक्नीशियन असिस्टेंट	सीधी भर्ती	07	01	02	01	04	15	अकार्यपालिक
		23	लैब अटेंडेंट	सीधी भर्ती	09	02	02	02	05	20	अकार्यपालिक
		24	डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट	सीधी भर्ती	03	0	0	0	01	04	अकार्यपालिक
3. महात्मा गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)	(1) स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई, इंदौर	25	आप्टोमेट्रिस्ट	सीधी भर्ती	03	01	02	02	02	10	अकार्यपालिक
		26	एनेस्थेसिया टेक्नीशियन	सीधी भर्ती	01	0	0	0	01	02	अकार्यपालिक
		27	CSSD टेक्नीशियन	सीधी भर्ती	03	0	01	01	01	06	अकार्यपालिक
		28	ओ.पी.डी. अटेंडेंट	सीधी भर्ती	02	0	0	0	01	03	अकार्यपालिक
		29	नर्सिंग आफिसर	सीधी भर्ती	02	0	0	0	0	02	अकार्यपालिक
	(2) सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल, इंदौर	30	एनेस्थेसिया टेक्नीशियन	सीधी भर्ती	01	0	0	02	01	04	अकार्यपालिक
		31	ओ.टी. टेक्नीशियन	सीधी भर्ती	01	0	0	0	0	01	अकार्यपालिक
		32	ई.ई.जी. टेक्नीशियन	सीधी भर्ती	0	0	0	01	0	01	अकार्यपालिक
		33	लैब टेक्नीशियन	सीधी भर्ती	01	0	0	01	0	02	अकार्यपालिक
		34	नर्सिंग आफिसर	सीधी भर्ती	11	05	05	09	07	37	अकार्यपालिक
		35	नर्सिंग आफिसर (एल.डी. दिव्यांगजन हेतु)	सीधी भर्ती	13	0	0	0	0	13	अकार्यपालिक
	(3) महात्मा गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)	36	रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन/रेडियोग्राफर	सीधी भर्ती	02	01	0	01	01	05	अकार्यपालिक
		37	फार्मासिस्ट ग्रेड-2	सीधी भर्ती	01	01	01	01	0	04	अकार्यपालिक

प्राथमिकता क्रम हेतु विभाग का नाम, जिनमें पद रिक्त हैं	पद कोड	पद	भर्ती का प्रकार	श्रेणीवार उपलब्ध पद संख्या						कार्यपालिक/अकार्यपालिक
				अना	EWS	अजा	अजजा	अपिव	कुल	
4. शासकीय स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)	38	डेंटल हाईजिनिस्ट	सीधी भर्ती	01	0	0	01	01	03	अकार्यपालिक
	39	डेंटल मैकेनिक	सीधी भर्ती	0	0	01	01	01	03	अकार्यपालिक
	40	रेडियोग्राफर	सीधी भर्ती	0	0	0	01	0	01	अकार्यपालिक
	41	लैब टेक्नीशियन	सीधी भर्ती	01	0	0	01	0	02	अकार्यपालिक
	42	स्टॉफ नर्स	सीधी भर्ती	01	0	01	01	0	03	अकार्यपालिक
5. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)	43	रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन/रेडियोग्राफर	सीधी भर्ती	01	0	01	0	0	02	अकार्यपालिक
	44	डेंटल टेक्नीशियन	सीधी भर्ती	01	0	0	0	0	01	अकार्यपालिक
	45	डार्क रूम असिस्टेंट	सीधी भर्ती	02	0	0	0	0	02	अकार्यपालिक
	46	लैब असिस्टेंट	सीधी भर्ती	01	0	0	0	0	01	अकार्यपालिक
	47	फार्मासिस्ट ग्रेड-2	सीधी भर्ती	03	0	0	0	01	04	अकार्यपालिक
	48	प्रोस्थेटिक एवं आर्थोटिक टेक्नीशियन	सीधी भर्ती	01	0	0	0	0	01	अकार्यपालिक
	49	रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन	सीधी भर्ती	01	0	0	01	01	03	अकार्यपालिक
	50	आप्टोमेट्रिस्ट	सीधी भर्ती	01	0	0	0	0	01	अकार्यपालिक
6. बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शहडोल (म.प्र.)	51	प्रोस्थेटिक एंड आर्थोटिक टेक्नीशियन	सीधी भर्ती	0	0	0	0	01	01	अकार्यपालिक
	52	टेक्नीशियन	सीधी भर्ती	01	0	0	01	01	03	अकार्यपालिक
	53	टेक्नीशियन असिस्टेंट	सीधी भर्ती	02	01	0	01	02	06	अकार्यपालिक
	54	डेंटल टेक्नीशियन	सीधी भर्ती	01	0	0	01	01	03	अकार्यपालिक
	55	रेडियोग्राफर टेक्नीशियन /रेडियोग्राफर	सीधी भर्ती	01	0	0	0	0	01	अकार्यपालिक
	56	ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट	सीधी भर्ती	01	0	0	0	01	02	अकार्यपालिक
	57	लैब अटेंडेंट	सीधी भर्ती	01	01	02	04	03	11	अकार्यपालिक
	58	ड्रेसर ग्रेड-2	सीधी भर्ती	0	0	0	01	01	02	अकार्यपालिक
	59	डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट	सीधी भर्ती	01	0	0	0	0	01	अकार्यपालिक
7. श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.)	60	फार्मासिस्ट ग्रेड-2	सीधी भर्ती	01	0	0	0	0	01	अकार्यपालिक
	61	टेक्नीशियन असिस्टेंट	सीधी भर्ती	0	0	0	02	0	02	अकार्यपालिक
	62	ड्रेसर ग्रेड-2	सीधी भर्ती	0	0	0	01	0	01	अकार्यपालिक
	63	डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट	सीधी भर्ती	0	0	0	01	0	01	अकार्यपालिक
	64	लैब अटेंडेंट	सीधी भर्ती	0	0	0	03	0	03	अकार्यपालिक
8. सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल	65	ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट	सीधी भर्ती	01	0	0	01	01	03	कार्यपालिक
9. गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था, भोपाल (म.प्र.)	66	प्रोस्थेटिक एवं आर्थोटिक टेक्नीशियन	सीधी भर्ती	0	0	0	0	01	01	अकार्यपालिक
	67	एनेस्थेसिया टेक्नीशियन	सीधी भर्ती	0	0	0	01	0	01	अकार्यपालिक
	68	डेंटल हाईजिनिस्ट	सीधी भर्ती	01	0	0	0	0	01	अकार्यपालिक
	69	डायलिसिस अटेंडेंट	सीधी भर्ती	01	0	0	01	01	02	अकार्यपालिक
योग -				299	78	121	169	215	881	

विभागवार रिक्त पदों की आरक्षण तालिकाएँ

01. संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल :-

संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, न्यू भवन, भोपाल (म.प्र.) के पत्र क्रमांक/2/अवि./सेल-2(भर्ती)/2024/1098-एन, दिनांक 22/07/2024, पत्र क्रमांक/2/अवि./से-2(भर्ती)/2024/1673-क्यू, दिनांक 21/10/2024 एवं पत्र क्रमांक/2/अवि./सेल-2(भर्ती)/2024/1733-आर, दिनांक 12/11/2024 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

पद कोड 01 - सीधी भर्ती - रेडियोग्राफर - कुल 65 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	04	02	01	01	06	03	17	दिव्यांगजनों की कुल 04 रिक्तियों में से 01=VH, 01=EH, 01=LD & 01=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	01	01	01	-	03	01	07	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	03	01	01	-	03	02	10	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	03	02	01	-	05	02	13	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	05	02	01	01	06	03	18	
	योग	16	08	05	02	23	11	65	

अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार कुल 87 प्रतिशत पदों की मुख्य आरक्षण तालिका - कुल 56 पद

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	04	02	01	01	06	03	17	दिव्यांगजनों की कुल 04 रिक्तियों में से 01=VH, 01=EH, 01=LD & 01=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	01	01	01	-	03	01	07	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	03	01	01	-	03	02	10	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	03	02	01	-	05	02	13	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	02	01	01	-	03	02	09	
	योग	13	07	05	01	20	10	56	

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक/काल्पनिक आरक्षण तालिका - कुल 09 पद (माननीय न्यायालय के निर्णयाधीन)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (प्रावधिक)	03	01	-	01	03	01	09	- निरंक -
1.	अनारक्षित (UR) (काल्पनिक)	03	01	-	01	03	01	09	

वेतनमान - 28700-91300 - लेवल-7

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) जीव विज्ञान, रसायन एवं भौतिकी (विज्ञान संकाय में) विषय लेकर हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण / 10+2 शिक्षा पद्धति में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए [Should have passed Higher Secondary Examination or 12th Class Examination in 10+2 Education System (with Biology, Chemistry and Physics)], एवं

(2) रेडियोग्राफर का निर्धारित 6 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण, (3) मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद में जीवित पंजीयन।

अथवा

(2) एक्स-रे रेडियोग्राफर टेक्नीशियन का (अ) दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम अथवा (ब) तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम, (3) मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद में जीवित पंजीयन।

नोट - उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए पदों के आंकड़ों में परिवर्तन की संभावना है।

पद कोड 02 - सीधी भर्ती - लेबोरेट्री टेक्नीशियन - कुल 162 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	12	06	03	01	14	08	44	दिव्यांगजनों की कुल 10 रिक्तियों में से 02=VH, 03=EH, 03=LD & 02=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	04	02	01	01	05	03	16	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	06	04	02	01	08	05	26	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	08	05	02	01	10	06	32	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	12	06	03	01	14	08	44	
	योग	42	23	11	05	51	30	162	

अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार कुल 87 प्रतिशत पदों की मुख्य आरक्षण तालिका - कुल 141 पद

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	12	06	03	01	14	08	44	दिव्यांगजनों की कुल 10 रिक्तियों में से 02=VH, 03=EH, 03=LD & 02=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	04	02	01	01	05	03	16	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	06	04	02	01	08	05	26	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	08	05	02	01	10	06	32	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	06	03	01	01	08	04	23	
	योग	36	20	09	05	45	26	141	

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक/काल्पनिक आरक्षण तालिका - कुल 21 पद (माननीय न्यायालय के निर्णयाधीन)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (प्रावधिक)	06	03	02	-	06	04	21	- निरंक -
1.	अनारक्षित (UR) (काल्पनिक)	06	03	02	-	06	04	21	

वेतनमान - सातवां वेतनमान 28700-91300 - लेवल-7

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) जीव विज्ञान, रसायन एवं भौतिकी (विज्ञान संकाय में) विषय लेकर हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण/10+2 शिक्षा पद्धति में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए [Should have passed Higher Secondary Examination or 12th Class Examination in 10+2 Education System (with Biology, Chemistry and Physics)], एवं

(2) रोग विज्ञान तकनीशियन (पैथालॉजी टेक्नीशियन) का 10 माह / 01 वर्ष का प्रशिक्षण या चिकित्सीय रोग विज्ञान में डिप्लोमा (डिप्लोमा इन मेडिकल पैथोलॉजी) होना चाहिये, (3) मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद में जीवित पंजीयन।

अथवा

(2) पैथालॉजी का - (अ) दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम (डी.एम.एल.टी.) अथवा (ब) तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम (बी.एम.एल.टी.) अथवा (स) दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एम.एम.एल.टी.), (3) मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद में जीवित पंजीयन।

नोट - उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए पदों के आंकड़ों में परिवर्तन की संभावना है।

पद कोड 03 - सीधी भर्ती - फार्मासिस्ट ग्रेड - 2 - कुल 94 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	06	04	02	01	08	05	26	दिव्यांगजनों की कुल 06 रिक्तियों में से 01=VH, 02=EH, 02=LD & 01=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	02	01	01	-	03	02	09	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	03	02	01	01	05	03	15	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	05	02	01	01	06	04	19	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	06	03	02	01	08	05	25	
	योग	22	12	07	04	30	19	94	

अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार कुल 87 प्रतिशत पदों की मुख्य आरक्षण तालिका - कुल 82 पद

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	06	04	02	01	08	05	26	दिव्यांगजनों की कुल 06 रिक्तियों में से 01=VH, 02=EH, 02=LD & 01=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	02	01	01	-	03	02	09	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	03	02	01	01	05	03	15	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	05	02	01	01	06	04	19	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	03	02	01	-	04	03	13	
	योग	19	11	06	03	26	17	82	

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक/काल्पनिक आरक्षण तालिका - कुल 12 पद (माननीय न्यायालय के निर्णयाधीन)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (प्रावधिक)	03	01	01	01	04	02	12	- निरंक -
1.	अनारक्षित (UR) (काल्पनिक)	03	01	01	01	04	02	12	

वेतनमान - सातवां वेतनमान 25300-80500 - लेवल-6

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) जीव विज्ञान, रसायन एवं भौतिकी (बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में) हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण/10+2 शिक्षा पद्धति में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण [Should have passed Higher Secondary Examination or 12th Class Examination in 10+2 Education System (with Biology, Chemistry and Physics)], (2) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा या इस निमित्त राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था द्वारा यथा अनुमोदित औषध निर्माण (फार्मसी) में डिप्लोमा अथवा औषध निर्माण (फार्मसी) में बी-फार्मा डिग्री अथवा औषध निर्माण (फार्मसी) में एम-फार्मा डिग्री, (3) मध्यप्रदेश फार्मसी कौंसिल में भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट) के रूप में जीवित पंजीयन।

नोट - उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए पदों के आंकड़ों में परिवर्तन की संभावना है।

पद कोड 04 - सीधी भर्ती - शल्य क्रिया तकनीशियन (ओ.टी. टेक्नीशियन) - कुल 143 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	10	05	03	01	12	07	38	दिव्यांगजनों की कुल 09 रिक्तियों में से 02=VH, 02=EH, 03=LD & 02=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	04	02	01	-	05	02	14	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	06	03	01	01	08	04	23	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	07	04	02	01	10	05	29	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	10	06	03	01	12	07	39	
	योग	37	20	10	04	47	25	143	

अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार कुल 87 प्रतिशत पदों की मुख्य आरक्षण तालिका - कुल 124 पद

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	10	05	03	01	12	07	38	दिव्यांगजनों की कुल 09 रिक्तियों में से 02=VH, 02=EH, 03=LD & 02=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	04	02	01	-	05	02	14	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	06	03	01	01	08	04	23	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	07	04	02	01	10	05	29	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	05	03	01	01	06	04	20	
	योग	32	17	08	04	41	22	124	

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक/काल्पनिक आरक्षण तालिका - कुल 19 पद (माननीय न्यायालय के निर्णयाधीन)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (प्रावधिक)	05	03	02	-	06	03	19	- निरंक -
1.	अनारक्षित (UR) (काल्पनिक)	05	03	02	-	06	03	19	

वेतनमान - सातवां वेतनमान 25300-80500 - लेवल-6

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) 10+2 शिक्षा पद्धति में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए (जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा भौतिकी के साथ), (2) ओ.टी. टेक्नीशियन का डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए, (3) मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद में जीवित पंजीयन।

नोट - उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए पदों के आंकड़ों में परिवर्तन की संभावना है।

02. संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल :-

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, 6वीं मंजिल, सतपुडा भवन, भोपाल (म.प्र.) के पत्र क्रमांक/584/स्था/अराज/2024, दिनांक 19.06.2024 एवं पत्र क्रमांक/935/स्था/अराज/2024, दिनांक 24.10.2024 के अनुसार शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों (सतना, सिवनी, मंदसौर एवं नीमच) के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

(1) - शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सतना (म.प्र.)

पद कोड 05 - सीधी भर्ती - स्पीच थेरेपिस्ट - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	-	-	01	- निरंक -
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	-	-	
	योग	01	-	-	-	-	-	01	

वेतनमान - 28700/- लेवल-7 (सॉतवा वेतनमान)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑडियोलॉजी एण्ड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी स्नातक उपाधि / स्पीच थेरापिस्ट टेक्नीशियन की स्नातक प्रमाण-पत्र। (3) मध्यप्रदेश परिषद / रिहैबिलिटेशन कौंसिल ऑफ इंडिया का जीवित पंजीयन।

पद कोड 06 - सीधी भर्ती - टेक्नीशियन - कुल 29 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	03	01	01	-	04	02	11	द्वियांगजनों की कुल 02 रिक्तियों में से 00=VH, 00=EH, 02=LD & 00=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	01	-	-	-	01	01	03	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	01	01	-	-	01	01	04	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	01	-	-	01	01	04	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	01	01	-	03	01	07	
	योग	07	04	02	-	10	06	29	

अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार कुल 87 प्रतिशत पदों की मुख्य आरक्षण तालिका - कुल 26 पद

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	03	01	01	-	04	02	11	द्वियांगजनों की कुल 02 रिक्तियों में से 00=VH, 00=EH, 02=LD & 00=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	01	-	-	-	01	01	03	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	01	01	-	-	01	01	04	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	01	-	-	01	01	04	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	01	-	-	01	01	04	
	योग	07	04	01	-	08	06	26	

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक/काल्पनिक आरक्षण तालिका - कुल 03 पद (माननीय न्यायालय के निर्णयाधीन)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (प्रावधिक)	-	-	01	-	02	-	03	- निरंक -
1.	अनारक्षित (UR) (काल्पनिक)	-	-	01	-	02	-	03	

वेतनमान - 28700/- लेवल-7 (साँतवा वेतनमान)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र। (3) मध्यप्रदेश परिषद का जीवित पंजीयन।

पद कोड 07 - सीधी भर्ती - टेक्नीशियन असिस्टेंट - कुल 41 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	04	02	01	-	05	02	14	दिव्यांगजनों की कुल 02 रिक्तियों में से 00=VH, 00=EH, 02=LD & 00=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी का दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगा, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	01	01	-	-	01	01	04	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	01	01	01	-	02	01	06	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	01	01	-	02	01	06	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	03	01	01	-	04	02	11	
	योग	10	06	04	-	14	07	41	

अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार कुल 87 प्रतिशत पदों की मुख्य आरक्षण तालिका - कुल 36 पद

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	04	02	01	-	05	02	14	दिव्यांगजनों की कुल 02 रिक्तियों में से 00=VH, 00=EH, 02=LD & 00=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी का दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगा, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	01	01	-	-	01	01	04	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	01	01	01	-	02	01	06	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	01	01	-	02	01	06	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	01	01	-	02	01	06	
	योग	08	06	04	-	12	06	36	

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक/काल्पनिक आरक्षण तालिका - कुल 05 पद (माननीय न्यायालय के निर्णयाधीन)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (प्रावधिक)	02	-	-	-	02	01	05	- निरंक -
1.	अनारक्षित (UR) (काल्पनिक)	02	-	-	-	02	01	05	

वेतनमान - 19500/- लेवल-4 (साँतवा वेतनमान)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) अभ्यर्थी ने बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स विषयों में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो। (2) मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र। (3) मध्यप्रदेश परिषद का जीवित पंजीयन। (4) 100 बिस्तर के चिकित्सा संस्था में 01 वर्ष का अनुभव।

पद कोड 08 - सीधी भर्ती - लैब अटेण्डेंट - कुल 29 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	03	01	01	-	04	02	11	दिव्यांगजनों की कुल 02 रिक्तियों में से 00=VH, 00=EH, 02=LD & 00=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी का दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगा, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	01	-	-	-	01	01	03	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	01	01	-	-	01	01	04	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	01	-	-	01	01	04	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	01	01	-	03	01	07	
	योग	07	04	02	-	10	06	29	

अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार कुल 87 प्रतिशत पदों की मुख्य आरक्षण तालिका - कुल 26 पद

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	03	01	01	-	04	02	11	दिव्यांगजनों की कुल 02 रिक्तियों में से 00=VH, 00=EH, 02=LD & 00=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी का दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगा, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	01	-	-	-	01	01	03	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	01	01	-	-	01	01	04	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	01	-	-	01	01	04	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	01	-	-	01	01	04	
	योग	07	04	01	-	08	06	26	

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक/काल्पनिक आरक्षण तालिका - कुल 03 पद (माननीय न्यायालय के निर्णयाधीन)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (प्रावधिक)	-	-	01	-	02	-	03	- निरंक -
1.	अनारक्षित (UR) (काल्पनिक)	-	-	01	-	02	-	03	

वेतनमान - 15500/- लेवल-1 (सॉतवा वेतनमान)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण।

पद कोड 09 - सीधी भर्ती - डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट - कुल 04 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	01	-	02	-निरंक-
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	01	-	-	-	-	-	01	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	-	-	-	-	-	01	
	योग	03	-	-	-	01	-	04	

वेतनमान - 15500/- लेवल-1 (सॉतवा वेतनमान)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण।

(2) - शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सिवनी (म.प्र.)

पद कोड 10 - सीधी भर्ती - स्पीच थेरेपिस्ट - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	-	-	01	- निरंक -
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	-	-	
	योग	01	-	-	-	-	-	01	

वेतनमान - 28700/- लेवल-7 (सॉतवा वेतनमान)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑडियोलॉजी एण्ड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी स्नातक उपाधि / स्पीच थेरेपिस्ट टेक्नीशियन की स्नातक प्रमाण-पत्र। (3) मध्यप्रदेश परिषद / रिहैबिलिटेशन कौंसिल ऑफ इंडिया का जीवित पंजीयन।

पद कोड 11 - सीधी भर्ती - टेक्नीशियन - कुल 10 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	01	-	-	01	01	04	दिव्यांगजनों की कुल 01 रिक्तियों में से 00=VH, 00=EH, 01=LD & 00=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	01	-	-	-	-	-	01	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	01	-	-	-	-	-	01	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	-	-	-	01	01	03	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	-	-	-	-	-	01	
	योग	05	01	-	-	02	02	10	

वेतनमान - 28700/- लेवल-7 (सॉतवा वेतनमान)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र। (3) मध्यप्रदेश परिषद का जीवित पंजीयन।

पद कोड 12 - सीधी भर्ती - टेक्नीशियन असिस्टेंट - कुल 15 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	01	01	-	02	01	06	दिव्यांगजनों की कुल 01 रिक्तियों में से 00=VH, 00=EH, 01=LD & 00=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी का दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगा, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	01	-	-	-	-	-	01	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	01	-	-	-	-	-	01	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	-	01	-	02	01	05	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	-	-	-	01	-	02	
	योग	05	01	02	-	05	02	15	

वेतनमान - 19500/- लेवल-4 (सॉतवा वेतनमान)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) अभ्यर्थी ने बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स विषयों में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो। (2) मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र। (3) मध्यप्रदेश परिषद का जीवित पंजीयन। (4) 100 बिस्तर के चिकित्सा संस्था में 01 वर्ष का अनुभव।

पद कोड 13 - सीधी भर्ती - लैब अटेंडेंट - कुल 20 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	01	01	-	02	01	06	दिव्यांगजनों की कुल 01 रिक्तियों में से 00=VH, 00=EH, 01=LD & 00=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी का दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगा, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	01	-	-	-	01	-	02	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	01	-	-	-	01	-	02	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	01	01	-	03	01	07	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	-	-	-	01	01	03	
	योग	05	02	02	-	08	03	20	

वेतनमान - 15500/- लेवल-1 (सॉतवा वेतनमान)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण।

पद कोड 14 - सीधी भर्ती - डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट - कुल 04 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	01	-	02	-निरंक-
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	-	-	-	-	-	01	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	-	-	-	-	-	01	
	योग	03	-	-	-	01	-	04	

वेतनमान - 15500/- लेवल-1 (सॉतवा वेतनमान)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण।

नोट - शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सिवनी (म.प्र.) में जिला स्तरीय रोस्टर लागू होने से अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी हेतु 16 प्रतिशत आरक्षण लागू है। 27 प्रतिशत आरक्षण लागू नहीं होने से 14 प्रतिशत एवं 13 प्रतिशत प्रपत्र में जानकारी निरंक है।

(3) - शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)

पद कोड 15 - सीधी भर्ती - स्पीच थेरेपिस्ट - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	-	-	01	- निरंक -
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	-	-	
	योग	01	-	-	-	-	-	01	

वेतनमान - 28700/- लेवल-7 (सॉतवा वेतनमान)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑडियोलॉजी एण्ड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी स्नातक उपाधि / स्पीच थेरेपिस्ट टेक्नीशियन की स्नातक प्रमाण-पत्र। (3) मध्यप्रदेश परिषद / रिहैबिलिटेशन कौंसिल ऑफ इंडिया का जीवित पंजीयन।

पद कोड 16 - सीधी भर्ती - टेक्नीशियन - कुल 10 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	01	-	-	01	01	04	दिव्यांगजनों की कुल 01 रिक्तियों में से 00=VH, 00=EH, 01=LD & 00=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	01	-	-	-	-	-	01	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	01	-	-	-	01	-	02	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	-	-	-	01	01	03	
	योग	04	01	-	-	03	02	10	

अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार कुल 87 प्रतिशत पदों की मुख्य आरक्षण तालिका - कुल 09 पद

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	01	-	-	01	01	04	दिव्यांगजनों की कुल 01 रिक्तियों में से 00=VH, 00=EH, 01=LD & 00=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	01	-	-	-	-	-	01	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	01	-	-	-	01	-	02	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	-	-	-	01	-	02	
	योग	04	01	-	-	03	01	09	

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक/काल्पनिक आरक्षण तालिका - कुल 01 पद (माननीय न्यायालय के निर्णयाधीन)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (प्रावधिक)	-	-	-	-	-	01	01	- निरंक -
1.	अनारक्षित (UR) (काल्पनिक)	-	-	-	-	-	01	01	

वेतनमान - 28700/- लेवल-7 (सॉतवा वेतनमान)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र। (3) मध्यप्रदेश परिषद का जीवित पंजीयन।

पद कोड 17 - सीधी भर्ती - टेक्नीशियन असिस्टेंट - कुल 15 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	01	01	-	03	01	07	दिव्यांगजनों की कुल 01 रिक्तियों में से 00=VH, 00=EH, 01=LD & 00=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी का दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगा, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	01	-	-	-	-	-	01	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	01	-	-	-	01	01	03	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	01	-	-	01	01	04	
	योग	04	02	01	-	05	03	15	

अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार कुल 87 प्रतिशत पदों की मुख्य आरक्षण तालिका - कुल 13 पद

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	01	01	-	03	01	07	दिव्यांगजनों की कुल 01 रिक्तियों में से 00=VH, 00=EH, 01=LD & 00=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	01	-	-	-	-	-	01	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	01	-	-	-	01	01	03	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	-	-	-	01	-	02	
	योग	04	01	01	-	05	02	13	

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक/काल्पनिक आरक्षण तालिका - कुल 02 पद (माननीय न्यायालय के निर्णयाधीन)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (प्रावधिक)	-	01	-	-	-	01	02	- निरंक -
1.	अनारक्षित (UR) (काल्पनिक)	-	01	-	-	-	01	02	

वेतनमान - 19500/- लेवल-4 (सॉतवा वेतनमान)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) अभ्यर्थी ने बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स विषयों में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो। (2) मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र। (3) मध्यप्रदेश परिषद का जीवित पंजीयन। (4) 100 बिस्तर के चिकित्सा संस्था में 01 वर्ष का अनुभव।

पद कोड 18 - सीधी भर्ती - लैब अटेण्डेंट - कुल 20 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	03	01	01	-	03	02	10	दिव्यांगजनों की कुल 01 रिक्तियों में से 00=VH, 00=EH, 01=LD & 00=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी का दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगा, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	01	-	-	-	01	-	02	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	01	-	-	-	01	01	03	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	-	01	-	02	01	05	
	योग	06	01	02	-	07	04	20	

अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार कुल 87 प्रतिशत पदों की मुख्य आरक्षण तालिका - कुल 18 पद

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	03	01	01	-	03	02	10	दिव्यांगजनों की कुल 01 रिक्तियों में से 00=VH, 00=EH, 01=LD & 00=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	01	-	-	-	01	-	02	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	01	-	-	-	01	01	03	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	-	-	-	01	01	03	
	योग	06	01	01	-	06	04	18	

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक/काल्पनिक आरक्षण तालिका - कुल 02 पद (माननीय न्यायालय के निर्णयाधीन)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (प्रावधिक)	-	-	01	-	01	-	02	- निरंक -
1.	अनारक्षित (UR) (काल्पनिक)	-	-	01	-	01	-	02	

वेतनमान - 15500/- लेवल-1 (साँतवा वेतनमान)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण ।

पद कोड 19 - सीधी भर्ती - डिसेक्शन हॉल अटेण्डेंट - कुल 04 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	01	-	02	-निरंक-
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	01	-	-	-	-	-	01	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	-	-	-	-	-	01	
	योग	03	-	-	-	01	-	04	

वेतनमान - 15500/- लेवल-1 (साँतवा वेतनमान)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण ।

(4) - शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)

पद कोड 20 - सीधी भर्ती - स्पीच थेरेपिस्ट - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	-	-	01	- निरंक -
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	-	-	
	योग	01	-	-	-	-	-	01	

वेतनमान - 28700/- लेवल-7 (सॉतवा वेतनमान)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑडियोलॉजी एण्ड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी स्नातक उपाधि / स्पीच थेरापिस्ट टेक्नीशियन की स्नातक प्रमाण-पत्र। (3) मध्यप्रदेश परिषद / रिहैबिलिटेशन कौंसिल ऑफ इंडिया का जीवित पंजीयन।

पद कोड 21 - सीधी भर्ती - टेक्नीशियन - कुल 10 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	01	-	02	01	05	दिव्यांगजनों की कुल 01 रिक्तियों में से 00=VH, 00=EH, 01=LD & 00=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	01	-	-	-	-	-	01	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	01	-	-	-	-	-	01	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	-	-	-	-	-	01	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	-	-	-	01	-	02	
	योग	05	-	01	-	03	01	10	

अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार कुल 87 प्रतिशत पदों की मुख्य आरक्षण तालिका - कुल 09 पद

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	01	-	02	01	05	दिव्यांगजनों की कुल 01 रिक्तियों में से 00=VH, 00=EH, 01=LD & 00=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	01	-	-	-	-	-	01	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	01	-	-	-	-	-	01	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	-	-	-	-	-	01	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	01	-	01	
	योग	04	-	01	-	03	01	09	

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक/काल्पनिक आरक्षण तालिका - कुल 01 पद (माननीय न्यायालय के निर्णयाधीन)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (प्रावधिक)	01	-	-	-	-	-	01	- निरंक -
1.	अनारक्षित (UR) (काल्पनिक)	01	-	-	-	-	-	01	

वेतनमान - 28700/- लेवल-7 (सॉतवा वेतनमान)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र। (3) मध्यप्रदेश परिषद का जीवित पंजीयन।

पद कोड 22 - सीधी भर्ती - टेक्नीशियन असिस्टेंट - कुल 15 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	01	01	-	03	01	07	दिव्यांगजनों की कुल 01 रिक्तियों में से 00=VH, 00=EH, 01=LD & 00=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी का दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगा, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	01	-	-	-	-	-	01	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	01	-	-	-	01	-	02	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	-	-	-	-	-	01	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	01	-	-	01	01	04	
	योग	05	02	01	-	05	02	15	

अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार कुल 87 प्रतिशत पदों की मुख्य आरक्षण तालिका - कुल 13 पद

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	01	01	-	03	01	07	दिव्यांगजनों की कुल 01 रिक्तियों में से 00=VH, 00=EH, 01=LD & 00=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	01	-	-	-	-	-	01	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	01	-	-	-	01	-	02	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	-	-	-	-	-	01	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	-	-	-	01	-	02	
	योग	05	01	01	-	05	01	13	

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक/काल्पनिक आरक्षण तालिका - कुल 02 पद (माननीय न्यायालय के निर्णयाधीन)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (प्रावधिक)	-	01	-	-	-	01	02	- निरंक -
1.	अनारक्षित (UR) (काल्पनिक)	-	01	-	-	-	01	02	

वेतनमान - 19500/- लेवल-4 (सॉतवा वेतनमान)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) अभ्यर्थी ने बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स विषयों में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो। (2) मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र। (3) मध्यप्रदेश परिषद का जीवित पंजीयन। (4) 100 बिस्तर के चिकित्सा संस्था में 01 वर्ष का अनुभव।

पद कोड 23 - सीधी भर्ती - लैब अटेण्डेंट - कुल 20 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	01	01	-	03	02	09	दिव्यांगजनों की कुल 01 रिक्तियों में से 00=VH, 00=EH, 01=LD & 00=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी का दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगा, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	01	-	-	-	01	-	02	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	01	-	-	-	01	-	02	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	-	-	-	01	-	02	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	-	01	-	02	01	05	
	योग	06	01	02	-	08	03	20	

अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार कुल 87 प्रतिशत पदों की मुख्य आरक्षण तालिका - कुल 18 पद

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	02	01	01	-	03	02	09	दिव्यांगजनों की कुल 01 रिक्तियों में से 00=VH, 00=EH, 01=LD & 00=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	01	-	-	-	01	-	02	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	01	-	-	-	01	-	02	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	-	-	-	01	-	02	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	-	-	-	01	01	03	
	योग	06	01	01	-	07	03	18	

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक/काल्पनिक आरक्षण तालिका - कुल 02 पद (माननीय न्यायालय के निर्णयाधीन)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (प्रावधिक)	-	-	01	-	01	-	02	- निरंक -
1.	अनारक्षित (UR) (काल्पनिक)	-	-	01	-	01	-	02	

वेतनमान - 15500/- लेवल-1 (सॉतवा वेतनमान)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण ।

पद कोड 24 - सीधी भर्ती - डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट - कुल 04 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	01	01	03	-निरंक-
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	-	-	-	-	-	01	
	योग	02	-	-	-	01	01	04	

वेतनमान - 15500/- लेवल-1 (सॉतवा वेतनमान)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण ।

03. महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) :-

(1) - स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई, इन्दौर

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता (शासकीय स्वशासी संस्था) महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) के पत्र क्रमांक/6158/स्था/स्व/अवि/2023, दिनांक 25/04/2023 के अनुसार चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर के संबद्ध संस्था स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई, इन्दौर के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

पद कोड 25 - सीधी भर्ती - आप्टोमेट्रिस्ट - कुल 10 पद (अकार्यपालिक)

स.क्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	01	-	01	-	03	-निरंक-
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	01	-	-	-	-	01	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	01	01	-	-	-	-	02	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	01	-	-	-	-	02	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	-	-	-	01	-	02	
	योग	04	03	01	-	02	-	10	

वेतनमान - 28700 - 91300

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- (1) अभ्यर्थी ने बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स विषयों में (10+2) प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
(2) मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री एवं रिक्रिक्शन उत्तीर्ण। (3) मध्यप्रदेश सह-चिकित्सकीय परिषद का जीवित पंजीयन।

पद कोड - 26 सीधी भर्ती - एनेस्थेसिया टेक्नीशियन - कुल 02 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	-	-	01	-निरंक-
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	-	-	-	-	-	01	
	योग	02	-	-	-	-	-	02	

वेतनमान - 28700 - 91300

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- (1) अभ्यर्थी ने बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स विषयों में (10+2) प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
(2) मान्यता प्राप्त संस्थान से एनेस्थेसिया टेक्नीशियन का 02 वर्षीय डिप्लोमा। (3) मध्यप्रदेश सह-चिकित्सकीय परिषद का जीवित पंजीयन।

पद कोड - 27 सीधी भर्ती - सी.एस.एस.डी. टेक्नीशियन - कुल 06 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	03	-	-	-	-	-	03	-निरंक-
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	01	-	-	-	-	-	01	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	-	-	-	-	-	01	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	-	-	-	-	-	01	
	योग	06	-	-	-	-	-	06	

वेतनमान - 28700 - 91300

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- (1) अभ्यर्थी ने बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स विषयों में (10+2) प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
(2) मान्यता प्राप्त संस्थान से सी.एस.एस.डी. टेक्नीशियन का डिप्लोमा। (3) मध्यप्रदेश पैरामेडिकल कौंसिल का जीवित पंजीयन।

पद कोड - 28 सीधी भर्ती - ओ.पी.डी. अटेण्डेंट - कुल 03 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	-	-	01	-	01	-	02	-निरंक-
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	01	-	01	
	योग	-	-	01	-	02	-	03	

वेतनमान - 15500 - 49000

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- (1) अभ्यर्थी ने बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स विषयों में (10+2) प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

पद कोड - 29 सीधी भर्ती - नर्सिंग ऑफिसर - कुल 02 पद (अकार्यपालिक)
(केवल महिला अभ्यर्थियों हेतु)

सक्र.	श्रेणी	निल	भूतपूर्व सैनिक	संविदा कर्मी	योग	द्वियांग
1.	अनारक्षित (UR)	01	01	-	02	द्वियांगजनों की कुल 01 रिक्तियों में से 00=VH, 00=EH, 01=LD & 00=MD द्वियांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी की द्वियांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	
	योग	01	01	-	02	

वेतनमान - 28700 - 91300

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- (1) अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से भौतिक रूप से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के साथ (10+2) शिक्षा पद्धति से 12वीं परीक्षा आवश्यक उत्तीर्ण होना चाहिए। (2) बी.एस.सी. (नर्सिंग) अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान प्रशिक्षित। (3) मध्यप्रदेश नर्सिंग कौंसिल में जीवित पंजीकृत परिचारिका।

(2) सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इन्दौर

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता (शासकीय स्वशासी संस्था) महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) के पत्र क्रमांक/6755/स्था/सु.स्पे./2024, दिनांक 03/10/2024 के अनुसार चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर के संबद्ध संस्था सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इन्दौर के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है -

पद कोड - 30 सीधी भर्ती - एनेस्थेसिया टेक्नीशियन - कुल 04 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	-	-	-	-	01	-	01	-निरंक-
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	-	-	-	-	-	02	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	01	-	01	
	योग	02	-	-	-	02	-	04	

वेतनमान - 28700 - 91300

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- (1) अभ्यर्थी ने बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स विषयों में (10+2) प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो। (2) मान्यता प्राप्त संस्थान से एनेस्थेसिया टेक्नीशियन का 02 वर्षीय डिप्लोमा। (3) मध्यप्रदेश सह-चिकित्सकीय परिषद का जीवित पंजीयन।

पद कोड - 31 सीधी भर्ती - ओ.टी. टेक्नीशियन - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	-	-	-	-	01	-	01	-निरंक-
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	-	-	
	योग	-	-	-	-	01	-	01	

वेतनमान - 28700 - 91300

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- (1) अभ्यर्थी ने बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स विषयों में (10+2) प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो। (2) मान्यता प्राप्त संस्थान से ऑपरेशन थियेटर टेक्नीशियन का प्रमाण-पत्र। (3) मध्यप्रदेश सह-चिकित्सकीय परिषद का जीवित पंजीयन।

पद कोड - 32 सीधी भर्ती - ई.ई.जी. टेक्नीशियन - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	-	-	-	-	-	-	-	-निरंक-
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	-	-	-	-	-	01	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	-	-	
	योग	01	-	-	-	-	-	01	

वेतनमान - 28700 - 91300

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- (1) अभ्यर्थी ने बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स विषयों में (10+2) प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो। (2) मान्यता प्राप्त संस्थान से ई.ई.जी. टेक्नीशियन का 02 वर्षीय डिप्लोमा। (3) मध्यप्रदेश सह-चिकित्सकीय परिषद का जीवित पंजीयन।

पद कोड - 33 सीधी भर्ती - लैब टेक्नीशियन (पैथालॉजी) - कुल 02 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	-	-	01	-निरंक-
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	-	-	-	-	-	01	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	-	-	
	योग	02	-	-	-	-	-	02	

वेतनमान - 28700 - 91300

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- (1) लैब असिस्टेंट के पद पर 05 वर्ष का कार्यानुभव एवं मध्यप्रदेश सह-चिकित्सकीय परिषद द्वारा विहित योग्यता। (2) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स विषयों में (10+2) प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो। (3) मान्यता प्राप्त संस्थान से पैथालॉजी टेक्नीशियन का डिप्लोमा (डी.एम.एल.टी.) / क्लीनिकल बायोकेमेस्ट्री का डिप्लोमा / माईक्रोबायोलॉजी का डिप्लोमा। (4) मध्यप्रदेश सह-चिकित्सकीय परिषद का जीवित पंजीयन।

पद कोड - 34 सीधी भर्ती - नर्सिंग ऑफिसर - कुल 37 पद (अकार्यपालिक) (केवल महिला अभ्यर्थियों हेतु)

सक्र.	श्रेणी	निल	भूतपूर्व सैनिक	संविदा कर्मी	योग	द्वियांग
1.	अनारक्षित (UR)	-	10	01	11	-निरंक-
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	02	03	05	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	05	-	05	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	06	03	09	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	07	-	07	
	योग	-	30	07	37	

अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार कुल 87 प्रतिशत पदों की मुख्य आरक्षण तालिका - कुल 34 पद

सक्र.	श्रेणी	निल	भूतपूर्व सैनिक	संविदा कर्मी	योग	द्वियांग
1.	अनारक्षित (UR)	-	10	01	11	-निरंक-
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	02	03	05	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	05	-	05	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	06	03	09	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	04	-	04	
	योग	-	27	07	34	

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक/काल्पनिक आरक्षण तालिका - कुल 03 पद (माननीय न्यायालय के निर्णयाधीन)

सक्र.	श्रेणी	निल	भूतपूर्व सैनिक	संविदा कर्मी	योग	द्वियांग
1.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (प्रावधिक)	-	03	-	03	निरंक
1.	अनारक्षित (UR) (काल्पनिक)	-	03	-	03	

वेतनमान - 28700 - 91300

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- (1) अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से भौतिक रूप से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के साथ (10+2) शिक्षा पद्धति से 12वीं परीक्षा आवश्यक उत्तीर्ण होना चाहिए। (2) बी.एस.सी. (नर्सिंग) अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान प्रशिक्षित। (3) मध्यप्रदेश नर्सिंग कौंसिल में जीवित पंजीकृत परिचारिका।

पद कोड - 35 सीधी भर्ती - नर्सिंग ऑफिसर - कुल 13 पद (अकार्यपालिक) (केवल महिला अभ्यर्थियों हेतु)
(केवल एल.डी. दिव्यांगजन हेतु आरक्षित)

सक्र.	श्रेणी	निल	भूतपूर्व सैनिक	संविदा कर्मी	योग	द्वियांग
1.	अनारक्षित (UR)	13	-	-	13	अनारक्षित/निल/ओपन में उपलब्ध कुल 13 पद केवल LD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है तथा इस पर किसी भी श्रेणी की LD दिव्यांग अभ्यर्थी चयनित हो सकती है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	
	योग	13	-	-	13	

वेतनमान - 28700 - 91300

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- (1) अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से भौतिक रूप से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के साथ (10+2) शिक्षा पद्धति से 12वीं परीक्षा आवश्यक उत्तीर्ण होना चाहिए। (2) बी.एस.सी. (नर्सिंग) अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान प्रशिक्षित। (3) मध्यप्रदेश नर्सिंग कौंसिल में जीवित पंजीकृत परिचारिका।

(3) महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, शासकीय महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) के पत्र क्रमांक/1485/स्था/स्व/अवि/2024, दिनांक 22/10/2024 के अनुसार शासकीय महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है -

पद कोड - 36 सीधी भर्ती - रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन / रेडियोग्राफर - कुल 05 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	01	-	-	-	-	02	दिव्यांगजनों की कुल 01 रिक्तियों में से 00=VH, 00=EH, 01=LD & 00=MD दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है. जिस श्रेणी की दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगी, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा. यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग/ ओपन की रिक्तियों में समाहित है.
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	01	-	-	-	01	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	-	-	-	-	-	01	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	01	-	01	
	योग	02	01	01	-	01	-	05	

वेतनमान - 28,700 - 91,300/-

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स विषयों में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण-पत्र। (3) मध्यप्रदेश सह-चिकित्सकीय परिषद का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र।

पद कोड - 37 सीधी भर्ती - फार्मासिस्ट ग्रेड-2 - कुल 04 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	-	-	-	-	01	-	01	- निरंक -
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	01	-	-	-	-	-	01	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	01	-	-	-	-	-	01	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	01	-	-	-	01	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	-	-	
	योग	02	-	01	-	01	-	04	

वेतनमान - 25,300-80,500/-

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। (2) भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट) का डिग्री/डिप्लोमा। (3) मध्यप्रदेश फार्मसी काउंसिल से भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट) का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र।

04. शासकीय स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) :-

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं प्राचार्य, शासकीय स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) के पत्र क्रमांक/52/स्था/2024, दिनांक 08/01/2024 के अनुसार महाविद्यालय के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

पद कोड 38 - सीधी भर्ती - डेंटल हाईजिनिस्ट - कुल 03 पद (अकार्यपालिक)

स.क्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	-	-	01	-निरंक-
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	-	-	-	-	-	01	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	-	-	-	-	-	01	
	योग	03	-	-	-	-	-	03	

वेतनमान - 22800 - 70000 (लेवल 6)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में हायर सेकेण्डरी परीक्षा अथवा 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त संस्थान से डेंटल हाईजिनिस्ट का प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र। (3) म.प्र. पैरामेडीकल कौंसिल/डेंटल कौंसिल का जीवित पंजीयन आवश्यक।

पद कोड - 39 सीधी भर्ती - डेंटल मैकेनिक - कुल 03 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	-	-	-	-	-	-	-	-निरंक-
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	01	-	-	-	-	-	01	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	-	-	-	-	-	01	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	-	-	-	-	-	01	
	योग	03	-	-	-	-	-	03	

वेतनमान - 29600 - 91300 (लेवल 7)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त संस्थान से डेंटल मैकेनिक का प्रमाण-पत्र। (3) मध्यप्रदेश पैरामेडीकल कौंसिल/मध्यप्रदेश डेंटल कौंसिल का जीवित पंजीयन आवश्यक।

पद कोड - 40 सीधी भर्ती - रेडियोग्राफर - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	-	-	-	-	-	-	-	-निरंक-
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	-	-	-	-	-	01	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	-	-	
	योग	01	-	-	-	-	-	01	

वेतनमान - 29600 - 91300 (लेवल 7)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त संस्थान से रेडियोग्राफर का सर्टिफिकेट / डिप्लोमा, डिप्लोमाधारी को प्राथमिकता। (3) 500 बिस्तर के शासकीय/स्वशासी चिकित्सालय में 01 वर्ष के अनुभव को प्राथमिकता। (4) मध्यप्रदेश पैरामेडीकल कौंसिल का जीवित पंजीयन आवश्यक।

पद कोड - 41 सीधी भर्ती - लैब टेक्नीशियन - कुल 02 पद (अकार्यपालिक)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	-	-	01	-निरंक-
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	-	-	-	-	-	01	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	-	-	
	योग	02	-	-	-	-	-	02	

वेतनमान - 29600 - 91300 (लेवल 7)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त संस्थान से पैथालॉजी टेक्नीशियन का डिप्लोमा (डी.एम.एल.टी.) / क्लीनिकल बायोकेमेस्ट्री का डिप्लोमा / माईक्रोबायोलॉजी का डिप्लोमा। (3) मध्यप्रदेश पैरामेडीकल कौंसिल का जीवित पंजीयन आवश्यक।

पद कोड - 42 सीधी भर्ती - स्टॉफ नर्स - कुल 03 पद (अकार्यपालिक)

(केवल महिला अभ्यर्थियों हेतु)

सक्र.	श्रेणी	निल	भूतपूर्व सैनिक	संविदा कर्मी	योग	द्वियांग
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	01	-निरंक-
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	01	-	-	01	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	-	-	01	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	
	योग	03	-	-	03	

वेतनमान - 29600 - 91300 (लेवल 7)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- (1) अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान विषयों के साथ (10+2) शिक्षा पद्धति से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (2) बी.एस.सी. (नर्सिंग) अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान प्रशिक्षित। (3) मध्यप्रदेश नर्सिंग कौंसिल में जीवित पंजीकृत परिचारिका।

05. श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) :-

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) के पत्र क्रमांक/20904/स्था/अराज/एमसी/2024, दिनांक 02/09/2024 एवं पत्र क्र. 23959/स्था/अराज/एम.सी./2024, दिनांक 07/10/2024 के अनुसार श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा, संबद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय एवं संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय, रीवा (म.प्र.) के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

पद कोड 43 - सीधी भर्ती - रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन / रेडियोग्राफर - कुल 02 पद (अकार्यपालिक)

स.क्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	-	-	01	-निरंक-
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	01	-	-	-	-	-	01	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	-	-	
	योग	02	-	-	-	-	-	02	

वेतनमान - 28700 - 91300 (लेवल 7)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र। (3) मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन।

पद कोड 44 - सीधी भर्ती - डेंटल टेक्नीशियन - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

स.क्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	-	-	01	-निरंक-
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	-	-	
	योग	01	-	-	-	-	-	01	

वेतनमान - 28700 - 91300 (लेवल 7)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में डिप्लोमा। (3) मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन।

पद कोड 45 - सीधी भर्ती - डार्क रूम असिस्टेंट - कुल 02 पद (अकार्यपालिक)

स.क्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	01	-	02	-निरंक-
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	-	-	
	योग	01	-	-	-	01	-	02	

वेतनमान - 19500-62000 (लेवल 4)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त संस्थान से एक्स-रे टेक्नीशियन में 01 वर्ष का पाठ्यक्रम का प्रमाण-पत्र। (3) मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन।

पद कोड 46 - सीधी भर्ती - लैब असिस्टेंट - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

स.क्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	-	-	01	-निरंक-
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	-	-	
	योग	01	-	-	-	-	-	01	

वेतनमान - 28700 - 91300 (लेवल 7)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त संस्थान से पेट्रोलॉजी टेक्नीशियन का डिप्लोमा (डी.एम.एल.टी.) / क्लिनिकल बायोकेमेस्ट्री का डिप्लोमा / माईक्रोबायोलॉजी का डिप्लोमा। (3) मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन।

पद कोड 47 - सीधी भर्ती - फार्मासिस्ट ग्रेड-2 - कुल 04 पद (अकार्यपालिक)

स.क्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	01	-	-	01	-	03	-निरंक-
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	-	-	-	-	-	01	
	योग	02	01	-	-	01	-	04	

अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार कुल 87 प्रतिशत पदों की मुख्य आरक्षण तालिका - कुल 03 पद

स.क्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	01	-	-	01	-	03	-निरंक-
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	-	-	
	योग	01	01	-	-	01	-	03	

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक/काल्पनिक आरक्षण तालिका - कुल 01 पद (माननीय न्यायालय के निर्णयाधीन)

स.क्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (प्रावधिक)	01	-	-	-	-	-	01	- निरंक -
1.	अनारक्षित (UR) (काल्पनिक)	01	-	-	-	-	-	01	

वेतनमान - 25300 - 80500 (लेवल 6)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। (2) भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट) का डिग्री/डिप्लोमा। (3) मध्यप्रदेश फार्मसी काउंसिल से भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट) का जीवित पंजीयन।

टीप - महाविद्यालय के प्रस्ताव एवं पत्रों के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के कुल 01 रिक्त पद को "शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक/काल्पनिक आरक्षण तालिका" में दर्शाया गया है।

पद कोड 48 - सीधी भर्ती - प्रोस्थेटिक एवं आर्थोटिक टेक्नीशियन - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

स.क्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	-	-	01	-निरंक-
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	-	-	
	योग	01	-	-	-	-	-	01	

वेतनमान - 25300-80500 (लेवल 6)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। (2) प्रोस्थेटिक्स / आर्थोटिक टेक्नीशियन का डिप्लोमा।

पद कोड 49 - सीधी भर्ती - रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन - कुल 03 पद (अकार्यपालिक)

स.क्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	-	-	01	-निरंक-
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	-	-	-	-	-	01	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	-	-	-	-	-	01	
	योग	03	-	-	-	-	-	03	

अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार कुल 87 प्रतिशत पदों की मुख्य आरक्षण तालिका - कुल 02 पद

स.क्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	-	-	01	-निरंक-
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	-	-	-	-	-	01	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	-	-	
	योग	02	-	-	-	-	-	02	

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक/काल्पनिक आरक्षण तालिका - कुल 01 पद (माननीय न्यायालय के निर्णयाधीन)

स.क्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (प्रावधिक)	01	-	-	-	-	-	01	- निरंक -
1.	अनारक्षित (UR) (काल्पनिक)	01	-	-	-	-	-	01	

वेतनमान - 28700 - 91300 (लेवल 7)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी। (3) मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन / ए.ई.आर.बी. का जीवित पंजीयन आवश्यक।

टीप - महाविद्यालय के प्रस्ताव एवं पत्रों के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के कुल 01 रिक्त पद को "शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक/काल्पनिक आरक्षण तालिका" में दर्शाया गया है।

पद कोड 50 - सीधी भर्ती - आप्टोमेट्रिस्ट - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

स. क्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	-	-	01	-निरंक-
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	-	-	
	योग	01	-	-	-	-	-	01	

वेतनमान - 28700 - 91300 (लेवल 7)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- (1) अभ्यर्थी ने बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स विषयों में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
 (2) मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन आप्टोमेट्री एवं रिक्रिक्शन उत्तीर्ण। (3) मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन।

06. बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शहडोल (म.प्र.) :-

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, बिरसा मुण्डा चिकित्सा महाविद्यालय, शहडोल (म.प्र.) के पत्र क्रमांक/स्था/अराज/शा.चि.म.वि./2023/716, दिनांक 18/03/2023 के अनुसार महाविद्यालय के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

पद कोड 51 - सीधी भर्ती - प्रोस्थेटिक एण्ड आर्थोटिक टेक्नीशियन - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

स.क्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	-	-	-	-	-	-	-	-निरंक-
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	-	-	-	-	-	01	
	योग	01	-	-	-	-	-	01	

वेतनमान - 5200-20200+2400

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। (2) प्रोस्थेटिक/आर्थोटिक टेक्नीशियन का डिप्लोमा।

पद कोड 52 - सीधी भर्ती - टेक्नीशियन - कुल 03 पद (अकार्यपालिक)

स.क्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	-	-	01	-	-	-	01	-निरंक-
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	01	-	-	-	01	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	01	-	-	-	01	
	योग	-	-	03	-	-	-	03	

वेतनमान - 5200-20200+2800

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र। (3) मध्यप्रदेश सह चिकित्सकीय परिषद का जीवित पंजीयन।

पद कोड 53 - सीधी भर्ती - टेक्नीशियन असिस्टेंट - कुल 06 पद (अकार्यपालिक)

स.क्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	01	-	-	-	02	-निरंक-
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	01	-	-	-	-	-	01	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	-	-	-	-	-	01	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	01	-	01	-	02	
	योग	03	-	02	-	01	-	06	

वेतनमान - 5200-20200+1900

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र। (3) मध्यप्रदेश सह चिकित्सकीय परिषद का जीवित पंजीयन।

पद कोड 54 - सीधी भर्ती - डेंटल टेक्नीशियन - कुल 03 पद (अकार्यपालिक)

स.क्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	-	-	01	-निरंक-
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	-	-	-	-	-	01	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	-	-	-	-	-	01	
	योग	03	-	-	-	-	-	03	

वेतनमान - 5200-20200+2800

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में डिप्लोमा। (3) चयन उपरांत मध्यप्रदेश सह चिकित्सकीय परिषद का जीवित पंजीयन।

पद कोड 55 - सीधी भर्ती - रेडियोग्राफर टेक्नीशियन / रेडियोग्राफर - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

स.क्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	-	-	01	-निरंक-
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	-	-	
	योग	01	-	-	-	-	-	01	

वेतनमान - 5200-20200+2800

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त संस्था से रेडियोग्राफर का डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र। (3) मध्यप्रदेश सह चिकित्सकीय परिषद का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र।

पद कोड 56 - सीधी भर्ती - ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट - कुल 02 पद (अकार्यपालिक)

स.क्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	-	-	01	-निरंक-
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	-	-	-	-	-	01	
	योग	02	-	-	-	-	-	02	

वेतनमान - 5200-20200+2800

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट की डिग्री। (2) मध्यप्रदेश सह चिकित्सकीय परिषद का जीवित पंजीयन।

पद कोड 57 - सीधी भर्ती - लैब अटेंडेंट - कुल 11 पद (अकार्यपालिक)

स.क्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	-	-	01	-निरंक-
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	01	-	-	-	-	-	01	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	01	-	-	-	01	-	02	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	-	01	-	01	-	04	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	02	-	01	-	-	-	03	
	योग	07	-	02	-	02	-	11	

अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार कुल 87 प्रतिशत पदों की मुख्य आरक्षण तालिका - कुल 10 पद

स.क्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	-	-	01	-निरंक-
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	01	-	-	-	-	-	01	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	01	-	-	-	01	-	02	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	-	01	-	01	-	04	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	-	01	-	-	-	02	
	योग	06	-	02	-	02	-	10	

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक/काल्पनिक आरक्षण तालिका - कुल 01 पद (माननीय न्यायालय के निर्णयाधीन)

स.क्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (प्रावधिक)	01	-	-	-	-	-	01	- निरंक -
1.	अनारक्षित (UR) (काल्पनिक)	01	-	-	-	-	-	01	

वेतनमान - 4440-7440+1300

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण।

पद कोड 58 - सीधी भर्ती - ड्रेसर ग्रेड-2 - कुल 02 पद (अकार्यपालिक)

स.क्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	-	-	-	-	-	-	-	-निरंक-
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	-	-	-	-	-	01	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	-	-	-	-	-	01	
	योग	02	-	-	-	-	-	02	

वेतनमान - 5200-20200+1800

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। (2) तीन माह का ड्रेसर का प्रशिक्षण।

पद कोड 59 - सीधी भर्ती - डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

स. क्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	-	-	01	-निरंक-
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	-	-	
	योग	01	-	-	-	-	-	01	

वेतनमान - 4440-7440+1300

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण।

07. श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.) :-

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.) के पत्र क्रमांक/13077-78/स्था/अराज/2024, दिनांक 25/10/2024 के अनुसार महाविद्यालय के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

पद कोड 60 - सीधी भर्ती - फार्मासिस्ट ग्रेड-2 - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

स.क्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	-	-	01	-निरंक-
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	-	-	
	योग	01	-	-	-	-	-	01	

वेतनमान - 25300/- (लेवल-6)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। (2) भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट) का डिप्लोमा। (3) म.प्र. फार्मसी काउंसिल से भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट) का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र।

पद कोड 61 - सीधी भर्ती - टेक्नीशियन असिस्टेंट - कुल 02 पद (अकार्यपालिक)

स.क्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	-	-	-	-	-	-	-	-निरंक-
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	01	-	-	-	-	02	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	-	-	
	योग	01	01	-	-	-	-	02	

वेतनमान - 19500/- (लेवल-4)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - (1) अभ्यर्थी ने बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स विषयों में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो। (2) मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र। (3) मध्यप्रदेश परिषद का जीवित पंजीयन। (4) 100 बिस्तर के चिकित्सा संस्था में 01 वर्ष का अनुभव।

पद कोड 62 - सीधी भर्ती - ट्रेसर ग्रेड-2 - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

स.क्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	-	-	-	-	-	-	-	-निरंक-
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	-	-	-	-	-	01	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	-	-	
	योग	01	-	-	-	-	-	01	

वेतनमान - 18000/- (लेवल-3)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- (1) बायोलॉजी, फिजिक्स तथा केमेस्ट्री विषयों के साथ 10+2 शिक्षा पद्धति में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। (2) तीन माह का ट्रेसर का प्रशिक्षण।

पद कोड 63 - सीधी भर्ती - डिशेक्सन हॉल अटेंडेंट - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

स.क्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	-	-	-	-	-	-	-	-निरंक-
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	-	-	-	-	-	01	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	-	-	
	योग	01	-	-	-	-	-	01	

वेतनमान - 15500/- (लेवल-1)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- (1) बायोलॉजी, फिजिक्स तथा केमेस्ट्री विषयों के साथ 10+2 शिक्षा पद्धति में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण।

पद कोड 64 - सीधी भर्ती - लैब अटेंडेंट - कुल 03 पद (अकार्यपालिक)

स.क्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	-	-	-	-	-	-	-	-निरंक-
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	-	01	-	01	-	03	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	-	-	
	योग	01	-	01	-	01	-	03	

वेतनमान - 15500/- (लेवल-1)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- (1) बायोलॉजी, फिजिक्स तथा केमेस्ट्री विषयों के साथ 10+2 शिक्षा पद्धति में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण।

08. सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल :-

मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक 80/पीएस/एसजे/2022, दिनांक 21/11/2022 के अनुसार सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय, पत्रकार कालोनी के सामने, भोपाल (म.प्र.) के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

पद कोड 65 - सीधी भर्ती - ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट - कुल 03 पद (कार्यपालिक)

स.क्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	-	01	-	-	-	-	01	-निरंक-
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	-	-	-	-	-	01	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	-	-	-	-	-	01	
	योग	02	01	-	-	-	-	03	

वेतनमान - 28700-91300 (लेवल-7)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- (1) 10+2 शिक्षा पद्धति के अधीन हायर सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना, (2) मान्यता प्राप्त संस्था से फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपी में तीन वर्ष का डिप्लोमा तथा संबंधित कार्य में दो वर्ष का अनुभव, (3) हिन्दी/अंग्रेजी का पर्याप्त ज्ञान।

09. गौंधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था, भोपाल (म.प्र.) :-

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, गौंधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था, भोपाल (म.प्र.) के पत्र क्रमांक 40180-87/एम.सी./अराज-5/2024, दिनांक 19/11/2024 के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

पद कोड 66 - सीधी भर्ती - प्रोस्थेटिक एण्ड आर्थोटिक टेक्नीशियन - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

स.क्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	-	-	-	-	-	-	-	-निरंक-
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	-	-	-	-	-	01	
	योग	01	-	-	-	-	-	01	

वेतनमान - 25300-80500 (लेवल-6)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- (1) बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। (2) प्रोस्थेटिक्स/आर्थोटिक टेक्नीशियन का डिप्लोमा।

पद कोड 67 - सीधी भर्ती - एनेस्थेसिया टेक्नीशियन - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

स.क्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	-	-	-	-	-	-	-	-निरंक-
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	-	-	-	-	-	01	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	-	-	
	योग	01	-	-	-	-	-	01	

वेतनमान - 28700-91300 (लेवल-7)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- (1) अभ्यर्थी ने बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स विषयों में 10+2 प्रणाली में कक्षा 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो। (2) मान्यता प्राप्त संस्था से एनेस्थेसिया टेक्नीशियन का दो वर्षीय डिप्लोमा। (3) म.प्र. सह चिकित्सकीय परिषद का जीवित पंजीयन।

पद कोड 68 - सीधी भर्ती - डेंटल हार्डजिनिस्ट - कुल 01 पद (अकार्यपालिक)

स.क्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	-	-	01	-निरंक-
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	-	-	-	-	-	-	-	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	-	-	
	योग	01	-	-	-	-	-	01	

वेतनमान - 22100-70000 (लेवल-5)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- (1) अभ्यर्थी ने बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स विषयों में 10+2 प्रणाली में कक्षा 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो। (2) मान्यता प्राप्त संस्था से डेंटल हार्डजिनिस्ट का प्रमाण-पत्र। (3) म.प्र. सह चिकित्सकीय परिषद का जीवित पंजीयन/म.प्र. डेंटल परिषद का जीवित पंजीयन आवश्यक।

पद कोड 69 - सीधी भर्ती - डायलिसिस अटेंडेंट - कुल 02 पद (अकार्यपालिक)

स.क्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		संविदा कर्मी		योग	द्वियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	01	-	-	-	-	-	01	-निरंक-
2.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	-	-	-	-	-	-	-	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	-	-	-	-	-	01	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	-	-	-	-	-	-	-	
	योग	02	-	-	-	-	-	02	

वेतनमान - 15500-49000 (लेवल-1)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- (1) बायोलॉजी, फिजिक्स तथा केमेस्ट्री विषयों के साथ 10+2 शिक्षा पद्धति में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण।

अध्याय - 3

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल के परीक्षा संचालन के नियम एवं निर्देश

खण्ड-अ

- 3.1 (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हताओं का भलीभाँति अध्ययन उपरान्त ही आवेदन पत्र भरें।
- (ii) आवेदक को विभिन्न पदों हेतु एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक सी-3-9/2016/1/3 भोपाल, दिनांक 10/10/2016 की कण्डिका क्रमांक 2 के बिन्दु क्रमांक 5 के अनुसार भर्ती परीक्षा के पद संख्या एवं विभागों के नाम घटाये-बढ़ाये/विलोपित किए जा सकेंगे।
- (iii) अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता उल्लेखित करते हुये एक से अधिक पद के लिए अपना विकल्प/अधिमान पदवार चिह्नित कर सकेगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं पदों के विकल्प/प्राथमिकताक्रम के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जावेगी।
- 3.2 (i) आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होने चाहिये।
- (ii) आवेदन पत्र भरने की तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के लिये विचार क्षेत्र में होने की पात्रता नहीं होगी।
- (iii) परीक्षाओं की गोपनीयता, शुचिता एवं समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए आवेदन-पत्र में यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के विकल्प चुनता है, तो उस अभ्यर्थी को सभी चुने गये पदों की योग्यता का प्रमाण-पत्र अपलोड किया जाना आवश्यक होगा।
- (iv) किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी द्वारा उक्त अपलोड किये प्रमाण-पत्र का बोर्ड स्तर से केवल परीक्षा आयोजन के उद्देश्य से परीक्षण किया जा सकता है एवं कोई भी गलत जानकारी दिये जाने के कारण अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है एवं बोर्ड के पास वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- (v) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- (vi) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/संस्था या भर्ती परीक्षा से संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा।
- (vii) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
- (viii) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

3.3 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :-

- (i) बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र।
- (ii) काला बॉलप्वॉइंट पेन। (उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु।)
- (iii) फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र - मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, अधिकारिक रूप से जारी एवं हस्ताक्षरित अंकसूची मय फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य। ई-आधार मान्य नहीं है।

- 3.4 परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा Scientific Calculator, Mobile Phone, Bluetooth Device, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales, Digital Watch, Sun glasses and whitener, इत्यादि पूर्णतः वर्जित है।

3.5 लिखित परीक्षा में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ नियमानुसार लागू होने पर :-

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-8-2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 एवं मण्डल के आदेश क्रमांक पीईबी/प-1/712/2020, भोपाल, दिनांक 05/02/2020 के आधार पर लिखित परीक्षा में दिव्यांगजन के लिए निम्नानुसार सुविधा प्रदान की जावेगी :-

(अ) यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी :-

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) दिव्यांग तथा सेरिब्रल पल्सी से दिव्यांगजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विड डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।

(ब) प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ :-

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सहायक अथवा प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान की जावेगी। किन्तु दृष्टिबाधित द्विआंग अभ्यर्थियों को सहायक एवं प्रतिपूरक समय दोनों की सुविधा प्रदान की जावेगी। सहायक अथवा प्रतिपूरक समय अथवा दोनों (दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों हेतु) की सुविधा के लिए अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों एवं शपथ पत्र सहित मण्डल कार्यालय को परीक्षा प्रारंभ होने की दिनांक से 10 दिवस पूर्व प्रस्तुत करनी होगी, ताकि मण्डल स्तर पर निम्नानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सके। अपरिहार्य कारणों से पूर्व में आवेदित लेखन सहायक उपस्थित न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के सत्यापन उपरांत नियमानुसार निर्धारित शर्तों के अनुरूप योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु अनुमति दी जा सकेगी।

(i) लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्तें :-

लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता/प्रश्न पत्र के स्तर (जो भी कम हो) से एक स्तर नीचे का होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि परीक्षा की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उपाधि है तो लेखन सहायक की योग्यता हायर सेकेन्ड्री होना चाहिए।

(ii) प्रतिपूरक समय हेतु शर्तें :-

यदि अभ्यर्थी प्रतिपूरक समय हेतु आवेदन करता है तो उसे निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2 घंटे 30 मिनट की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
1 घंटे 30 मिनट की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

(iii) इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएँ :- यथा संभव ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जावेगा।

3.6 प्रवेश-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया :-

ऑनलाइन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश-पत्र मण्डल की वेबसाइट www.esb.mp.gov.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। आवेदन पत्र में संशोधन हेतु निर्धारित समयावधि के उपरांत इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं किया जायेगा, साथ ही इस आशय हेतु प्रेषित किये जाने वाले पत्र का उत्तर न प्रेषित करते हुए उन्हें नस्तीबद्ध किये जायेंगे। प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ऑनलाइन आवेदन-पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3.7 परीक्षा प्रवेश-पत्र (Test Admit Card) :-

- (i) नियमानुसार मान्य ऑनलाइन आवेदन-पत्रों के प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) मण्डल की वेबसाइट www.esb.mp.gov.in पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।
- (ii) अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।
- (iii) परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, बाये हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तलिपि (काले बाल पाईट पेन से) अंकित करना होगी।
- (iv) प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

3.8 मूल्यांकन पद्धति :-

- (i) वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।
- (ii) परीक्षा में सही प्रश्नों की संख्या (RAW Score) प्रदर्शन उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा सही प्रश्नों की संख्या एवं पासवर्ड को कम्प्यूटर स्क्रीन पर अंकित करने का प्रावधान होगा। अभ्यर्थी द्वारा अंकित सही प्रश्नों की संख्या (RAW Score) एवं प्रदर्शित RAW Score समान होने पर ही "सबमिट" किया जा सकेगा।

3.8 अ. त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :-

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियाँ आहूत की जाती है तदनुसार विषय विशेषज्ञों से प्रश्नपत्र के आपत्तियुक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है।

(A) निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :-

- (i) प्रश्न की संरचना गलत हो।
- (ii) उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
- (iii) कोई भी विकल्प सही न हो।
- (iv) यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
- (v) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
- (vi) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाये।

(B) हिन्दी तथा अंग्रेजी पाठ में समानता नहीं है (समस्त प्रश्न पत्रों के लिए हिन्दी पाठ को मानक माना जाएगा। सिवाय विज्ञान तथा तकनीकी विषयों के प्रश्न पत्र, जहाँ पर अंग्रेजी पाठ को मानक माना जाएगा)।

(C) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा, ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण 01 :- यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और कुंजी समिति की अनुशंसा के आधार पर मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी,

$$\frac{90 \times 100}{(100 - 2)} = 91.83$$

उदाहरण 02 :- यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और कुंजी समिति की अनुशंसा के आधार पर मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{140 \times 150}{(150 - 2)} = 141.89$$

उदाहरण 03 :- यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और कुंजी समिति की अनुशंसा के आधार पर मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{190 \times 200}{(200 - 2)} = 191.91$$

नोट :- सभी गणना को दशमलव के दो अंकों तक की जायेगी।

(आदेश क्र. मण्डल/5-प-1/48/5279/2016 भोपाल दिनांक 29.08.2016 के अनुसार)

3-8 ब. परीक्षा में परीक्षा परिणाम नार्मोलाईजेशन पद्धति :-

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल के आदेश क्र. मण्डल/प-1/11/22-2016/4839/2016 भोपाल, दिनांक 04.08.2016 के अनुसार मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाएँ, जिसमें परीक्षा आयोजन एक से अधिक शिफ्टों में किया जाता है अथवा ऐसे पद/पाठ्यक्रम जिनमें एक से अधिक विषय के प्रश्न पत्र देने वाले आवेदक पात्र होते हैं, तो उन परीक्षाओं में एकजाई मेरिट तैयार करने हेतु परीक्षा परिणाम नार्मोलाईजेशन पद्धति से तैयार किया जावेगा। जिसका सूत्र निम्नानुसार है :-

Normalized Mark of j^{th} candidate in i^{th} session $\widehat{M}_{ij}$ is given by:

$$\widehat{M}_{ij} = \frac{M_t^g - M_q^g}{\bar{M}_N - M_{iq}} (M_{ij} - M_{iq}) + M_q^g$$

where,

M_{ij} is the actual marks obtained by the j^{th} candidate in i^{th}

M_t^g is the average marks of the top 0.1% of the candidates considering all sessions

M_q^g is the sum of mean and standard deviation marks of the candidates in the paper considering all sessions

$\bar{M}_N$ is the average marks of the top 0.1% of the candidates in the i^{th} session

M_{iq} is the sum of the mean marks and standard deviation of the i^{th} session
(नामोलाइजेशन पद्धति के बारे में जानने के लिए मण्डल की वेबसाइट देखें)

नोट - मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल के आदेश क्र. मण्डल/5-प-1/48/5279/2016, भोपाल, दिनांक 29/08/2016 के अनुसार बिन्दु 3.8 में उल्लेखित परीक्षा परिणाम के अंकों की सभी गणना दशमलव के दो अंकों तक की जायेगी तथा किसी भी स्थिति में अंकों को राउंडऑफ कर नहीं जोड़ा जावेगा।

3.9 प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन :-

- प्रश्नपत्र में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ इस हेतु मण्डल की वेबसाइट पर ऑनलाईन प्रदर्शित लिंक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है। लिंक अपलोड होने के पश्चात तीन दिवस तक ही ऑनलाईन आपत्तियाँ ली जा सकेंगी। उसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जावेगी। अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रश्न पर एक बार आपत्ति दर्ज की जा सकेगी। एक बार आपत्ति दर्ज होने पर उस प्रश्न को विषय-विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत रूप से परीक्षण कर निर्णय लिया जावेगा। अतः उन प्रश्नों पर एक बार आपत्ति दर्ज होने के उपरांत पुनः आपत्ति दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रति प्रश्न/उत्तर पर आपत्ति अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु अभ्यर्थी द्वारा राशि 50/- (पचास) रुपये मात्र शुल्क देय होगा। मण्डल को प्राप्त भौतिक अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- बिन्दु क्रमांक 3.8 अ अनुसार मण्डल द्वारा नियुक्त विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा प्रश्न पत्र में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त एवं उक्त प्रश्नों के अतिरिक्त परीक्षा में आए शेष प्रश्नों के यादिच्छक (रैंडम) रूप से 05 प्रतिशत प्रश्नों का निर्धारण कर विषय विशेषज्ञों के समक्ष प्रस्तुत कर उनकी अनुशंसा अनुसार अंतिम “की” (अंतिम उत्तर) तैयार की जायेगी।
- अंतिम उत्तर के संबंध में विषय विशेषज्ञों (कुंजी समिति) द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

3.10 अनुचित साधन ;Unfair means, UFMद्व :-

बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाईन परीक्षाओं में यू.एफ.एम./पररूपधारी प्रकरणों पर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी नियमावली निर्धारित की जाती है:-

(अ) अनुचित साधन ;Unfair means/यू.एफ.एम. ;UFMद्व के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में :-

- परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, कैलकुलेटर, लॉग टेबिल, नकल पर्चा;Rough Papers/Loose Paper Slip इलेक्ट्रॉनिक घड़ी एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
- परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफुसी करना, ईशारे करना व अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क करना।

3. प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना अथवा उपयोग करने पर यूएफएम प्रकरण दर्ज होगा।
4. नकल प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।
5. सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
6. सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।
7. परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना/धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।
8. परीक्षा कक्ष में मोबाईल अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करना।
9. ऐसे यूएफएम प्रकरण जिनमें अभ्यर्थी के साथ अन्य व्यक्तियों की संलिप्ता प्रकट होती है।
10. उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी का अन्य ऐसा कोई कार्य/क्रियाकलाप/प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो।
- 11- परीक्षा परिणाम जारी करने के पूर्व मण्डल द्वारा किये गए डाटा विश्लेषण में असामान्यता परिलक्षित होती है तो संबंधित अभ्यर्थियों के विरुद्ध यू.एफ.एम./वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु मण्डल स्वतंत्र होगा।
- 12- परीक्षा उपरान्त परीक्षा संबंधी डाटा का सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर आवेदकों की गतिविधि असामान्य परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी को यू.एफएम. श्रेणी में मान्य कर उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जायेगी।

यूएफएम प्रकरणों में बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में विधिवत जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है जिसे पृथक लिफाफे में नकल सामग्री/साक्ष्य सहित सीलबन्द किया जावे। उपरोक्त में से किसी भी कृत्य के आधार पर अथवा क्रियाकलाप/गतिविधियों में अभ्यर्थी की अपराधिक संलिप्ता होने पुलिस प्राथमिकी दर्ज की जावेगी।

(ब) पररूपधारण (IMPERSONATION) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में

1. अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना/परीक्षा में शामिल होने का प्रयास करना, यह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे में अभ्यर्थी के विरुद्ध यूएफएम प्रकरण दर्ज करते हुये परीक्षा केन्द्राध्यक्ष द्वारा एफआईआर भी दर्ज करायी जावेगी। ऐसे अपराध के लिए आवेदक एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाले व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
2. विभाग द्वारा आयोजित दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग उक्त अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मण्डल को अवगत कराया जायेगा।

मण्डल द्वारा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों को बोर्ड स्तर पर गठित यू.एफ.एम. समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त, नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता/परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सकता है।

3.11 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :-

- (i) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व मण्डल की वेबसाइट पर परीक्षा परिणाम के साथ-साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।
- (ii) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।
- (iii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरान्त परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की वेबसाइट www.esb.mp.gov.in पर उपलब्ध कराया जावेगा।
- (iv) विभाग/विभागों को भेजी जाने वाली प्रावीण्य सूची मण्डल की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जायेगी।
- (v) अन्तिम कुंजी समिति की अनुशंसाएं भी मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी।

3.12 परीक्षा परिणाम :-

- (i) परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम मण्डल की वेबसाइट www.esb.mp.gov.in पर अपलोड किया जायेगा।

- (ii) तदनुसार अभ्यर्थी वेबसाइट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणाम का प्रेषण नहीं किया जायेगा।

3.13 मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल का कार्य लिखित परीक्षाओं का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा :-

- (i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा।
- (ii) मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।
- (iii) विभाग द्वारा मांग किये जाने की स्थिति में मण्डल परीक्षा के अन्य चरणों के परिणामों को समेकित कर अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित करेगा।
- (iv) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख मण्डल द्वारा जारी आदेश क्र.मण्डल/2/स्था./11-38/2006/08/6473/2016 दिनांक 19.10.16 में उल्लेखित नियम अनुसार नष्ट कर दिए जायेंगे।

3.14 न्यायिक क्षेत्राधिकार :- परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय के अंतर्गत रहेगा।

खण्ड-ब

3.15 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित यथाआवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा :-

- (i) अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि ।
- (ii) आवेदक की जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवीं/दसवीं अथवा बारहवीं की अंकसूची।
- (iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस. अभ्यर्थियों के जाति/श्रेणी प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति/श्रेणी प्रमाण पत्र।
- (iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र।
- (v) संविदा कर्मचारियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
- (vi) प्राथमिकता के आधार पर बोनस संबंधी प्रमाण पत्र (यथा एन.सी.सी. प्रमाण पत्र व अन्य)।

3.16 ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी निर्देश:-

- (i) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को निर्धारित प्रारूप/फॉर्मेट में स्कैन कराकर संलग्न करना होगा । जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।
- (ii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा ।
- (iii) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खिंचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।
- (iv) उपरोक्त मापदंड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (v) फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा फोटोग्राफ पर फोटो खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये। यथा संभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढ़ी में/क्लीन शेव में लगाया गया है तो परीक्षा हाल में वैसी ही स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
- (vi) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।
- (vii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियाँ सुरक्षित रखा जाना होगा।
- (viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु हस्ताक्षर, अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में हस्ताक्षर अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।
- (ix) मिसिंग अथवा अस्पष्ट फोटो-हस्ताक्षर – हस्तलिपि होने पर आवेदन-पत्र अमान्य किये जायेंगे ।
- (x) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होंगे।

3.17 एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :-

एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारीयों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा :-

- (i) पोर्टल पर द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन-पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप उचित रूप से भरना चाहिये ।
- (ii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।

- (iii) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारीयां भलीभांति पढ़कर सही-सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।
- (iv) अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार के लिखित आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।
- (v) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन-पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

3.18 ऑनलाईन आवेदन भरने के संबंध में निर्देश :

- (i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते हैं। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण "मीनू" के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।
- (ii) आवेदक को आवेदन पत्र में शरीर के स्थायी चिन्ह तथा परीक्षा के समय प्रस्तुत किये जाने वाले फोटो पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारीयों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- (iv) आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णांक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।
- (v) ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदक का अपना आधार कार्ड क्रमांक /आधार VID अनिवार्यतः अंकित किये जाने का प्रावधान रखा है। इसके उपयोग से
 1. परीक्षा के ठीक पूर्व रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अभ्यर्थियों का बायोमैट्रिक सत्यापन किया जावेगा।
 2. चयनित अभ्यर्थियों का Biometric Data संबंधित विभागों को हैश कोडेड सीडी में उपलब्ध कराया जायेगा। विभिन्न विभागों द्वारा यह Biometric सत्यापन स्वयं के स्तर पर ही किया जावेगा।
- (vi) पहचान पत्र के मीनू मे मण्डल द्वारा अधिमान्य पहचान पत्र का प्रावधान रखा गया।

3.19 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की व्यवस्था :-

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र एम.पी.ऑनलाईन की वेबसाइट www.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है।
- (ii) इसके अतिरिक्त स्वयं के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित वेबसाइट्स से डेबिट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्ट्रो) कार्ड/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है।
- (iii) केवल सीधी भर्ती-बैकलॉग के रिक्त पदों हेतु अभ्यर्थियों द्वारा कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं होगा।
- (iv) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन-पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन-पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाइट के माध्यम से प्रवेश-पत्र प्राप्त किया जा सके।

3.20 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने हेतु दो विकल्प हैं :-

- (अ) इंटरनेट केफे द्वारा (क्योस्क)
- (ब) स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा

- (i) आवेदक वेबसाइट www.mponline.gov.in के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत **Application** क्लिक कर **ESB** लिंक में परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने संबंधी निर्देश/Instructions तथा परीक्षा नियम/Examination Rules उपलब्ध होंगे।
- (ii) निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें।
- (iii) ऑनलाइन आवेदन-पत्र में चाही गई समस्त जानकारी को सही-सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन-पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा।
- (iv) ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईनें, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्केन कर jpg फॉर्मेट में ही कंप्यूटर में सेव करें व इसे **Browse** बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।
- (v) ऑनलाइन आवेदन-पत्र को **Submit** करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही **Submit** बटन का उपयोग कर आवेदन-पत्र को जमा करें।
- (vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन-पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु **proceed to payment** बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :-

(अ) क्रेडिट/डेबिट कार्ड (सभी बैंकों के)

(ब) इंटरनेट बैंकिंग

3.21 क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान:-

- (i) आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।
- (ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।
- (iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारी की कंप्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

3.22 इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :-

- (i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।
- (ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारी की कंप्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

3.23

आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन-पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर **Unpaid Application** लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन-पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

3.24 निर्धारित तिथि में जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन की व्यवस्था

ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओं के आधार पर होगी:-

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।
- (ii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन-पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।
- (iii) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।
- (iv) उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस./दिव्यांगजन का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस/दिव्यांगजन के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी।
- (v) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस/दिव्यांगजन श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।
- (vi) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- (vii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, बोर्ड आवेदन-पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
- (viii) संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये मण्डल द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा।

3.25 ऑनलाईन आवेदन-पत्र का निरस्तीकरण :-

- (i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण मण्डल स्तर पर भी सुनिश्चित किया जायेगा। इसके पूर्व एम.पी.ऑनलाईन द्वारा यह परीक्षण किया जाएगा।
- (ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, या डाटा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (iii) इस संबंध में मण्डल द्वारा कोई भी पत्राचार नहीं किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

3.26 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755 - 6720200 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

3.27 परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियमपुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।

3.28 म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 3-17/2014/1/3 भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2014 के अनुसार आदेशित किया गया है कि बोर्ड के माध्यम से चयन सूची जारी होने के दिनांक से अधिकतम 03 माह के भीतर चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकरण में वैधता अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। यदि ऐसे प्रकरण परिलक्षित होते हैं तो इसके जिम्मेदार विभाग प्रमुख होंगे।

3.29 पुनः गणना / पुनर्मूल्यांकन :-

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के पश्चात पुनः गणना / पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये मण्डल द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा।

3.30 बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया : -

- (i) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.01.2010 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार तथा परिपत्र क्र. 796/982/2012/आप्र/एक दिनांक 26.06.2012, परिपत्र क्र. एफ-6-1/2002/आ.प्र./एक, दिनांक 06/06/2018 एवं परिपत्र क्र. एफ-7-22/2019/आ.प्र./एक, दिनांक 30/05/2019 के पालन स्वरूप मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजातियों के ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता को पूर्ण करते हैं, वे अनुसूचित जनजाति संवर्ग में विज्ञापित पदों के विरुद्ध अपने आवेदन पत्र, आवेदन भरने की प्रस्तावित अन्तिम तिथि तक हार्ड कापी में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों को संलग्न करते हुये सीधे नियुक्ति संबंधी कार्यवाही हेतु संबंधित विभाग को प्रेषित करेंगे। आवेदक द्वारा बोर्ड को प्रेषित आवेदन पत्र अमान्य माना जायेगा।
- (ii) संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा की तिथि के पूर्व बैगा, सहारिया एवं भारिया अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों के परीक्षण उपरान्त उनकी नियुक्ति संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। इस कारण से विभाग के अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित/विज्ञापित पदों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होता है, तो संशोधित पदों की आरक्षण तालिका बोर्ड को उपलब्ध कराई जायेगी।
- (iii) बोर्ड द्वारा अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित/विज्ञापित पदों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होता है तो एक संक्षिप्त संशोधन विज्ञापन जारी किया जायेगा जो अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये बंधनकारी होगी।
- (iv) अनुसूचित जनजाति संवर्ग के रिक्त पदों के विरुद्ध बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों की नियुक्ति उपरान्त, परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को इस संवर्ग के शेष पदों हेतु परीक्षा में बैठने का विकल्प विद्यमान रहेगा।
- (v) अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित सभी पदों की पूर्ति यदि बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों से ही हो जाती है तो ऐसी स्थिति में इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी के विज्ञापित पदों के लिये परीक्षा में सम्मिलित होने का विकल्प विद्यमान रहेगा।
- (vi) तदुपरांत बोर्ड द्वारा अन्य श्रेणियों के पदों तथा अनुसूचित जनजाति के संशोधित पदों के लिये परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (vii) आवेदन-पत्र की निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात बैगा, सहारिया/सहारिया एवं भारिया अभ्यर्थियों के प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त माने जायेंगे।

3.31 अभ्यर्थी द्वारा जानकारी/समस्या के लिए टोल फ्री नम्बर 18002337899 पर सम्पर्क किया जा सकता है साथ ही परीक्षा सम्बन्धी कोई भी शिकायत मण्डल की E-mail ID "complaint.esb@mp.gov.in" पर भेज सकते हैं।

खण्ड-स

3.33 आवेदन पत्र भरने की समयावधि

ऑनलाईन आवेदन पत्र			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की अंतिम तिथि	भरने के कुल दिवस	करने की प्रारंभिक तिथि	करने की अंतिम तिथि	करने के कुल दिवस
26-11-2024	10-12-2024	15	26-11-2024	15-12-2024	20

3.34 आनलाईन परीक्षा का विवरण

स.क्र.	पाली	दिनांक	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	प्रथम	10-01-2025 से प्रारंभ	02 घंटे	प्रातः 09:00 से 11:00 तक	100
2	द्वितीय			दोपहर 03:00 से 05:00 तक	100

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कम्प्यूटर के माउस की सहायता से चयन/काला करना होगा।

3.35 (i) परीक्षा शुल्क :-

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये	केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ईडब्ल्यूएस/ दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये	आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑन लाईन का पोर्टल शुल्क	सीधी भर्ती बैकलॉग के अभ्यर्थियों के लिये
01.	एक	500/- प्रति प्रश्न-पत्र	250/- प्रति प्रश्न-पत्र	कियोस्क के माध्यम से भरने पर 60/- कियोस्क के माध्यम से न भरने पर 20/-	निरंक

(ii) संशोधन किये जाने पर देय शुल्क

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर शुल्क	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर पोर्टल शुल्क
01.	एक	20/-	40/-

3.36 परीक्षा शहर :-

आवेदको को आवेदन पत्र भरते समय चार परीक्षा शहरों का प्राथमिकता क्रम निर्धारित करना आवश्यक है। मण्डल द्वारा अभ्यर्थी के प्राथमिकता में अंकित किये गये शहरों में सीटों की उपलब्धता के आधार पर Random प्रकार से परीक्षा केन्द्र आवंटित किये जाने का प्रयास किया जावेगा। तथापि परीक्षा शहरों एवं परीक्षा केन्द्रों की उपलब्धता के अनुरूप अभ्यर्थियों को भी वांछित परीक्षा शहर के स्थान पर अन्य परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है। बोर्ड अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरों/केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है एवं उक्त संबंध में मण्डल का निर्णय एवं बाध्यकारी होगा। अतः परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के संबंध में किसी प्रकार के आवेदन मान्य नहीं होंगे। लिखित परीक्षा निम्नलिखित संभावित परीक्षा शहरों/केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी :-

आनलाईन परीक्षा हेतु संभावित परीक्षा शहर						
1. बालाघाट	2. भोपाल	3. ग्वालियर	4. इन्दौर	5. जबलपुर	6. खण्डवा	7. नीमच
8. रतलाम	9. रीवा	10. सागर	11. सतना	12. सीधी	13. उज्जैन	

खण्ड-द

ऑनलाईन परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश

3.37

- (i) परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित रिपोर्टिंग समय पर अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है। परीक्षा में निर्धारित रिपोर्टिंग समय के पश्चात आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- (ii) परीक्षा तिथि पर परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थी आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में उसे परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
- (iii) बायोमेट्रिक के अतिरिक्त अभ्यर्थी को टी.ए.सी. के द्वितीय भाग की प्रविष्टियों को भरकर लाना अनिवार्य है।
- (iv) अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम उत्तर कुंजी (आदर्श उत्तर) तैयार किये जायेंगे। जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर घोषित किया जाएगा।
- (v) ऑनलाईन आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- (vi) परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्ट में किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों के स्कोर का Normalisation करने का प्रावधान मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा।
- (vii) नियमपुस्तिका में परीक्षा आयोजन का समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन/संशोधन किया जा सकता है।
- (viii) परीक्षा आयोजन की निर्धारित तिथि में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है तथा परीक्षा का आयोजन निर्धारित तिथि के पूर्व या पश्चात भी किया जा सकेगा।
- (ix) अभ्यर्थी को केवल मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी। ई-आधार कार्ड का प्रिंटआउट यू.आई.डी.ए.आई. (UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई-आधार मान्य होगा।

अध्याय - 04

पाठ्यक्रम

(परीक्षा में केवल एक प्रश्न पत्र रहेगा)

सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के संशोधित
परिपत्र क्रमांक 74 दिनांक 16 फरवरी 2015 के अनुसार

प्रश्न पत्र का विवरण :

100 अंक

सं. क्र.	विषय	अंक
1	सामान्य ज्ञान	25
2	सामान्य हिन्दी	
3	सामान्य अंग्रेजी	
4	सामान्य गणित	
5	सामान्य विज्ञान	
6	सामान्य अभिरूचि	
7	तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न	75

तकनीकी ट्रेड पर आधारित पाठ्यक्रम (SYLLABUS)

(A) नर्सिंग ऑफिसर/स्टाफ नर्स हेतु पाठ्यक्रम

1. **ANATOMY AND PHYSIOLOGY**

1. Structure and function of cell, tissue, Skeletal System, joints and muscles of body
2. Structure and function of various system of human body for exc. Nervous System Circulatory, Respirator System, Excretory system, Reproductive system, Endocrine system. And Digestive system of human body.
3. Sensory organs.

2. **NUTRITION AND BIOCHEMISTRY**

Macro nutrient and Micro nutrient. Cookery rules and Preservation of nutrients. Role of nurse in nutrition programme

3. **MICROBIOLOGY**

Types of immunity, Immunization, Hyper sensitivity and auto Immunity, Control and Destruction of Microbes:- Sterilization, Disinfection, Chemotherapy and Antibiotics, Pasteurization, Medical and Surgical Asepsis, Bio safety and Waste management

4. **NURSING FOUNDATION**

1. concept of health, nursing profession, hospital policy, nursing process, documentation, Recording, reporting health assessment, and meeting general and special need of patients care of terminally ill patients.

5. **PSYCHOLOGY**

1. Personality development. Motivation and emotional process.
2. psychological assessment and mental health and hygiene.

6. **COMMUNITY HEALTH NURSING**

1. Health determinants, Epidemiology and nursing management of common communicable diseases and non-communicable diseases, population explosion and its control.
2. Health policy and planning, national health and family welfare programme, health agencies, role and responsibility of community health nurse

7. **MEDICAL SURGICAL NURSING**

1. Common signs, symptoms, and nursing management of medical and surgical systemic disorders of human body.
2. nursing management of pre and post-operative patients.
3. nursing management of communicable and non-communicable diseases
4. nursing management of patients in emergency and disaster situation.
5. nursing management of geriatric client
6. General clinical investigation
7. Oncology Nursing
8. Fluid and electrolytes balance and Imbalanced

8. **CHILD HEALTH NURSING**

1. modern concept of child health nursing, IMNCI, management of behavioral and social problem of children, care of new born and new born resuscitation, KMC

9. **MIDWIFERY AND OBSTETRICAL NURSING**

1. concept of midwifery and obstetrical nursing.
2. assessment and management of antenatal, intra-natal, and postnatal period.
3. assessment and management of normal neonates' high-risk pregnancy, abnormal Labour.
4. Drugs used in obstetric nursing, Family welfare programme.

10. **MENTAL HEALTH NURSING**

1. Principles and concept of mental health nursing, Assessment of mental health nursing,
2. nursing management of client with psychotic and neurotic disorder, legal issue in mental health nursing.

11. **NURSING RESEARCH AND STATISTICS**

1. Research approach, design, sampling review of literature, and statistical analysis

12. **MANAGEMENT OF NURSING SERVICES AND EDUCATION**

1. skill of communication, inter personal relationship and human relation
2. Guidance and counselling, use of A V Aids, various method of class room and clinical teaching, use of IEC material
3. Assessment of knowledge skill and attitude and OSCE
4. Management of nursing services in the hospital and community, in service education,
5. management of nursing institution and professional advancement, budget planning .

13. **SOCIOLOGY**

- a- Relationship between individual and society
- b- Social group, social changes, social control problems and different culture.

c- Population, family and marriage and types of community in India.

14. NURSING ADMINISTRATION AND WARD MANAGEMENT

1. Administration and management process
2. Administration of Hospital department, Units, Wards
3. Management of equipment supply
4. Cost and financing of Health care
5. Vital statistics

(B) पाठ्यक्रम - फार्मासिस्ट ग्रेड-2

PHARMACEUTICS

Introduction to different dosage forms, their classification with examples—their relative applications. Familiarization with new drug delivery systems. Introduction to Pharmacopoeias with special reference to the Indian Pharmacopoeia. Size reduction, Size separation, Metrology—system of weights and measures. Calculations including conversion from one to another system. Percentage calculations and adjustment of products. Use of alligation method in calculations. Isotonic solutions. Mixing and homogenization. Packaging of pharmaceuticals Extraction and galenicals, Clarification and filtration, Heat processes, Introduction to drying processes, Distillation, Sterilization—concept of sterilization and its differences from disinfection—thermal resistance of microorganisms. Detailed study different sterilization processes. Study of immunological products like sera, vaccines, toxoids and their preparations., Processing of tablets, Processing of capsules

PHARMACEUTICAL CHEMISTRY

Acids, bases and buffers, Gastrointestinal agents, Acidifying agents, Antacids, Protectives and adsorbents, Saline cathartics. Antioxidants, Topical agents — (i) Protectives (ii) Antimicrobials and astringents (iii) Sulphur and its compounds (iv) Astringents—alum and zinc sulphate. Dental product, Inhalants, Respiratory stimulants, Expectorants and emetics, Antidotes. Major intra and extracellular electrolytes, Inorganic official compounds of iron, iodine and calcium; ferrous sulfate and calcium gluconate. Radio pharmaceuticals and contrast media radioactivity, Identification tests for cations and anions as per Indian Pharmacopoeia. Quality control of drugs and pharmaceuticals

PHARMACOGNOSY

Definition, history and scope of pharmacognosy including indigenous system of medicine. Various systems of classification of drugs of natural origin. Adulteration and drug evaluation; significance of pharmacopoeial standards. therapeutic effects and pharmaceutical applications of alkaloids, terpenoids, glycosides, volatile oils, tannins and resins. Occurrence, distribution, organoleptic evaluation, chemical constituents including tests wherever applicable and therapeutic efficacy of (a) Laxatives (b) Cardiotonics (c) Carminatives & G.I. regulators catechu. hyoscyamus, belladonna, aconite, ashwagandha, ephedra, opium, cannabis, nux vomica. rauwolfia. vasaka, tolu balsam, tulsi. guggal, colchicum, vinca. chaulmoogra oil. pterocarpus, gymnema sylvestro. gokhru, punarnava. ipecacuanha. benzoin, myrrh, neem, curcuma. cinchona. ergot. shark liver oil and amla. papaya, diastase, yeast. Collection and preparation of crude drugs from the market as exemplified by ergot, opium, rauwolfia, digitalis, senna. Study of source, preparation and identification of fibres used in sutures and surgical dressings—cotton, silk, wool and regenerated fibres.

BIOCHEMISTRY AND CLINICAL PATHOLOGY

Introduction to biochemistry. Brief chemistry and role of carbohydrates, proteins, lipids, their classification and related diseases. Role of minerals and water in life processes. Brief chemistry and role of vitamins and coenzymes. brief concept of enzymatic, Introduction to pathology of blood and urine.

HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY

Definition of various terms used in anatomy, physiology, Structure of cell, unction of its components with special reference to mitochondria and microsomes. Elementary tissues of the body, Composition of blood, blood group and coagulation of blood, Name and functions of lymph glands. Anatomy and physiology of different body systems in Brief .

HEALTH EDUCATION & COMMUNITY PHARMACY

Concept of health—definition, indicators of health, concept of disease, prevention of diseases. Environment and health. First aid—emergency treatment in shock, snake bite, burns, poisoning, heart disease, fractures and resuscitation methods. Elements of minor surgery and dressings. Fundamental principles of microbiology, organisms of common diseases. Non-communicable diseases—causative agents, prevention, care and control. Cancer, diabetes, blindness, cardiovascular diseases. Communicable disease—causative agents, modes of transmission and prevention. (a) Respiratory infections—chicken pox, measles, influenza, diptheria, whooping cough and tuberculosis. (b) Intestinal infections—poliomyelitis, hepatitis, cholera, typhoid, food poisoning, hookworm infection. (c) Arthropod borne infections—plague, malaria, filariasis. (d) Surface infections—rabies, trachoma, tetanus, leprosy. (e) Sexually transmitted diseases—syphilis, gonorrhoea, AIDS. Nutrition and health, vitamins and minerals. Demography and family planning, natural family planning methods, chemical methods, mechanical methods, hormonal, contraceptives, population problem of India. Epidemiology —I mmunity and immunisation, immunological products and their dose schedule. Principles of disease control and prevention, hospital acquired infection, prevention and control.

DISPENSING PHARMACY

Prescriptions : Reading and understanding of prescription; Incompatibilities in prescriptions, Posology: Dose and dosage of drugs, Dispensed Medications: (i) Powders (ii) Liquid oral dosage (b) Biphasic liquid dosage forms: • Suspensions • Emulsions (iii) Dental and cosmetic preparations:

(iv) Semi-solid dosage forms: (a) Ointments (iv) emulsification. (v) Sterile dosage forms: (a) Parenteral dosage forms (b) Sterility testing, (c) Ophthalmic products— study of essential characteristics of different ophthalmic preparations.

PHARMACEUTICAL CHEMISTRY II

chemistry of pharmaceutical organic compounds covering their nomenclature, chemical structure, uses and the important physical and chemical properties. The stability and storage conditions and the different types of pharmaceutical formulations of the drugs.

Pharmacology and Toxicology

Introduction to pharmacology, scope of pharmacology. Routes of administration of drugs, their advantages and disadvantages. Various processes of absorption of drugs and the factors affecting them. Metabolism, distribution and excretion of drugs. General mechanism of drugs action and the factors which modify drugs action. Pharmacological classification of drugs. (i) Drugs acting on the central nervous system: (a) General anaesthetics, intravenous anaesthetics. (b) Analgesic, antipyretic, sedatives and hypnotics, anti-convulsants, (ii) Local anaesthetics. (iii) Drugs acting on autonomic nervous system. (iv) Drugs acting on eye, (v) Drugs acting on respiratory system (vi) Antacids, (vii) Cardiovascular drugs, (viii) Drugs acting on the blood and blood forming organs. (ix) Drugs affecting renal function (x) Hormones and hormone antagonists (xi) Drugs acting on digestive system

Pharmaceutical Jurisprudence

(C) पाठ्यक्रम - लेबोरेट्री टेक्नीशियन, टेक्नीशियन, टेक्नीशियन असिस्टेंट, सी.एस.एस.डी. टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट

APPLIED ANATOMY & PHYSIOLOGY - Study of the structure of a cell. - Normal anatomical Structure, Histology and Functions, (Physiology) of the all Human Body Systems,

BIOCHEMISTRY - Biochemical structure of the Carbohydrates Proteins, Lipids Enzymes, Clinical Biochemistry - Kidney function tests, Liver function Test, Cardiac Profile, Lipid Profile

HEMATOLOGY - Composition of blood, collection of blood and anticoagulants, Hb estimation, TRBC count - ANAEMIAS, Preparation & staining of blood films, Leukopoiesis), TWBC & DWBC Count, Absolute values, ESR, PCV, Reticulocyte count, Platelet count, BT & CT LE cell preparation, Sickling test, Osmotic fragility Bone Marrow Examination.

BLOOD BANKING - Blood Groups, Cross Matching, Coomb's test, Donor Screening, Blood Transfusion, & transfusion reactions, Blood Components

CLINICAL PATHOLOGY - Physical chemical & microscopic examination of urine, stool examination, Semen examination, CSF exam.

PARASITOLOGY - Parasites in Blood, stool & urine

MICROBIOLOGY - Morphology of Bacteria, Culture and isolation of bacteria, Gram positive and gram negative cocci and bacilli, Anaerobic spore bearing bacilli.

SEROLOGY - Antigen & Antibodies, Diagnosis of syphilis - VDRL & RA test., Widal test, ELISA test.

HISTOLOGY - Fixatives, Tissue processing, impregnation, Block making, Section Cutting, Basic staining of sections, Collection of tissues for histology, Method of Decalcification.

CYTOLOGY - Techniques & equipments required, Fixatives and staining procedure

(D) रेडियोग्राफर, डार्क रूम असिस्टेंट, रेडियोग्राफर/रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन

Anatomy and Physiology of Human Body

Introduction to the body as a whole. The cells, Tissues, Epithelium: Simple: Compound, Connective Tissues, Muscles, Cell regeneration, Membranes: mucous, serous, synovial **Osteology** (including whole skeleton, bones and joints) **Development of bone (osteogenesis):** cells involved **Types and function of bone, Types of joints and various movement. Axial Skeleton: Skull, Vertebral Column, Appendicular skeleton, Healing of bones. The respiratory system: Organs, Functions, Pharynx Larynx – Functions, lungs:** lobes, lobules, pleura.

Radiographic, Photography

Photographic process, Photographic emulsions, Film materials in x-ray department. History, structure of an x-ray film, single sided films, types of films, Spectral sensitivity of film material, graininess of film material, speed and contrast of photographic material, **Sensitometry:** photographic density, characteristic curve features of the characteristic curve, **The storage of film materials and radiograph:** Storage of unprocessed films, storing of radiographs, **Intensifying screens and cassettes. Luminescence:** fluorescence and phosphorescence. Construction of an intensifying screen, The fluorescent materials. Types of intensifying screens. Intensification factor. The influence of KV, scattered radiation. Detail, sharpness and speed, size of the crystals, reciprocity failure, Cassette design, care of cassettes, mounting of intensifying screens, Care of intensifying screens, tests to check screen film contact and light leakage, **Film processing:** Development: The nature of development, manual, automatic. The PH scale, The constitution of developing solutions and properties of development chemicals, The development time, factors in the use of a developer. Developers in processing systems, **Film processing:** fixing and role of a fixing solution. Constitution of the fixing solutions and properties of the Constituents, Fixers used in automatic processors. Factors affecting the use of the fixer, Regeneration of fixing solution. Silver recovery and its various methods, Rinsing, washing and drying. Objects of rinsing and washing, methods employed. Methods of drying films, Preparation of solutions and making stock solution, **Processing equipment:** , **Dark room:** , **Systems for daylight film handling** , **The radiographic image** ,

Unsharpness in the radiographic image. Various factors contributing towards unsharpness, The presentation of the Radiograph. Identification markers and orientation. Documentary preparation, **Viewing accessories**, Light images and their recording, **Fluorography**, **Subtraction**, Common film faults due to manufacturing as well as due to chemical processing, Management of the quality of the Radiographic image.

ELEMENTARY RADIATION PHYSICS

Structure of matter and principles of machines, electricity and electromagnetism applied in radiological instruments. Physics principles in design and working of x-ray tube technology. Construction and working principles of transformers and autotransformers used in x-ray circuits. Measurement of voltage special KV meters. Measurement of tube current in milli and microamperes. Principles of thermionic emission and rectification in x-ray technology. High voltage D.C. circuits in imaging and therapy tube circuits. Electrical hazards and safety x-ray tube rating in imaging and therapy x-ray tubes and thermal safety. Introduction to intensity of radiation in general and its variation by distance. Introduction to electromagnetic spectrum, definition of wavelength and its quantum relationship with peak kilovoltage. Physical principles of radiation and optical field coverage and the factor affecting the field projected on patient during x-ray imaging and radiotherapy exponential and trigonometric functions used in radiological calculations.

Radiography Techniques

Skeletal system: Radiography techniques for x-ray of: (a) Upper limb with special reference to joint. (b) Lower limb which includes all the bones with special reference to joint. femur and metatarsals, etc. (c) Shoulder girdle and thorax. (d) Vertebral column with special techniques for cervical spine, intervertebral joints and foramina. Lumbo-sacral joint. (e) Pelvic girdle and hip region. (f) Respiratory system chest radiography for both the lungs, apical, lordotic and oblique views, techniques to decubitus AP and lateral views.

Anatomy and Physiology of Human Body :

Types of cells, tissues, bones and joints. Introduction to system and cavities of the body. Heart and Blood vessels, The Lymphatic System, The Digestive System, The Urinary System, The Reproductive System: Male & Female Reproductive system, The Endocrine System, The Organs of Sense:

RADIATION PHYSICS INCLUDING RADIATION PROTECTION

Atomic structure as applied to generation of x-rays and radioactivity spectrum of diagnostic imaging and therapy x-rays. Effects of variation of tube voltage, current, filtration, HT waveform and target material on x-ray production. Laws of radioactivity and decay schemes of different alpha, beta, gamma ray, positron and positron emitters as used in medicine especially in radiotherapy. Artificial radionuclide generators employed in medicine in general and radiotherapy sources in particular. Interaction of radiation with matter attenuation absorption and scattering phenomena. Photoelectric absorption, Compton scattering, pair production and annihilation process, ionisation, effects of geometry of thickness of the absorber. Dependence on the nature and atomic number of the absorber and on radiation quality. Transmission of x-ray through body tissues. Linear energy transfer. Range of secondary electrons and electron build up. Relative amounts of scatter from homogeneous and heterogeneous beam during the passage through a patient. Physical requirements of beam defining devices e.g. cones, diaphragm, collimators etc. Units of radiation measurement specification of quality and half-value thickness (HVT) and its measurements, filters and filtration. Measurements of radiation and dosimetric procedures. Radiation detectors and their principles of working. Definitions of Bragg-peak, percentage depth dose, and peak scatter factor, tissue air-ratio, tissue maximum ratios scatter air ratio, isodose curves and radiation penumbra of different beams. Wedge filters, scattering foils. Physics properties of phantoms, phantom materials, bolus and bolus substitutes. Factors used for treatment dose calculation method. Physical aspects of electron and neutron beam therapy.

Radiation Protection:

Definition of radiation hazards maximum permissible dose and annual limit of intake (ALI), permissible dose levels on and around sealed source housing and installation principles of radiation protection and MPD's of different ICRP rules, stochastic and non-stochastic effects. Importance of 'ALARA' physical principles of design and planning of radiation installation. Safe work practice in tele therapy and Brach therapy. Shielding materials, radiation surveys and personnel monitoring devices film badges. TLD badges, pocket dosimeters.

BASIC RADIOGRAPHIC TECHNIQUES

Skull: Radiography of cranial bones, cranium, sella turcica, orbit, optic foramina, superior orbital fissure and inferior orbital fissure. **Facial Bones:**

Dental Radiography: **Abdomen:**, **Macro radiography:**, **Stereography:**, **Soft tissue techniques:** , **Operation theatre techniques:**

Radiography:- techniques including special procedures.

Ventriculography and encephalography, Myelography, Angiography

(E) O.T. TECHNICIAN

1. Introduction to surgery and basic surgical procedures
2. Sterilization of equipment and O.T. (Aphasia, Antisepsis & Fumigation.) & O.T. hygiene.
3. Surgical infection in O.T. & prevention anti Microbial therapy.
4. Fluids & electrolytes & intra venous fluids & setting up of IV line & Eletransfusa.
5. Shifting of O.T. patients (Pre & Post op.) Sp. trauma patients.
6. Various surgical instrument.
7. Maintenance & care of general & special surgical instruments & equipments.
8. Pre-Op requirements (case papers, Pt. identification, consent, pre-op instruments).
9. Positioning of patient for special surgical procedures.
10. Control of Hemorrhage & resusaration.
11. O.T. illumination.
12. Preparation of surgical field.
13. Assisting at operation & setting up of instrument trolley
 - (a) Gen. surgery. (b) Uri. Surgery. (c) Gastrointestinal surgery. (d) Neurosurgery. (e) Cardiovascular surgery.
 - (f) Orthopedic surgery. (g) E.N.T surgery. (h) Gynaecological & Obstetric surgery.
14. Surgical sutures.
15. Collection of specimens
16. Dressing material & their application.
17. Waste disposal.

(F) OCCUPATIONAL THERAPIST

Thorax :

Ribs, Vertebrae, Intercostals space, intercostals nerve, pleural, reflection, outline of respiratory system as a whole. Medicastral surface of lungs, Broncho-pulmonary segments, Mediastinum, Heart & Coronary vessels, Joints of Thorax, Vertebral column & its applied anatomy.

Abdomen & Pelvis :

Lumbar vertebral, Sacrum, Bony Pelvis, Ant Abdominal wall, Inguinal canal & hernia, Testes, Scrotum, General outline of digestive system. Liver, gall bladder, kidney, ureter, Suprarenal gland, urinary bladder, prostate, urethra, male and female reproductive organs, joints and pelvis.

Superior Extremity :

Bones in detail Branchial Plexus including applied anatomy, Main muscle groups and their actions, joints and their applied anatomy, Axillary lymphatic drainage of mammary gland venous drainage of upper limb.

Interior Extremity :

Bone in detail, lumbar and sacral plexus, main nerves and muscles. Arches of foot and its applied anatomy, Arterial anastomosis around knee joint venous drainage, Inguinal lymph nodes joints & their applied anatomy.

Brain & Spinal Cord :

Connection & main functions of each part, internal capsule, and blood supply.

Surface Anatomy :

Bony landmarks and surface anatomy of important structures.

Human Physiology : 1. Introduction 2. Tissues. 3. Cardio Vascular System 4. Respiratory system 5. Neuromuscular system 6. Digestive System 7. Genito Urinary System 8. Endocrine System 9.

Temperature Biochemistry mm 35 : 1. Biophysics 2. Cell 3. Carbohydrates 4. Lipids 5. Proteins 6. Nucleic Acids 7. Enzymes 8. Vitamins 9. Bio-Energetics 10. Carbohydrate Metabolism 11. Lipid Metabolism 12. Protein Metabolism 13. Water and Electrolytes 14. Mineral Metabolism 15. Nutrition 16. Connective Tissue 17. Nerve Tissue 18. Muscle Tissue 19. Hormones 20. Isotopes

Pathology & Bacteriology : Pharmacology Section (B) 35 • General Psychology • Principles of Occupational Therapy Theory •

(G) Optometrist / आण्थेल्मिक असिस्टेंट

Anatomy of eye, Physiology of eye - General consideration of different terms used in ophthalmology. Common diseases of eyelids. Common diseases of conjunctiva. Common diseases of sclera Common diseases of iris & ciliary body. Glaucoma Cataract. Orbit. Examination of eye. Special investigation of eye. Demonstrations – on above subjects. Visual acuity. amplitude of accommodation. Colour vision. Principle of Radioscopy. Static refraction. Errors of refraction. Myopia. Hypermetropia. Astigmatism. Aphakia. Presbyopia. Anisometropia. Anisokomia. Physical optic. Properties of light. Principal of reflection. Principal of refractions. Lenses and their combinations. Lensometry. Keratometry. Contact lenses. Indications. Types. Uses. Practice – Low vision aids.

(H) Dental Technician/Dental Mechanic/डेंटल हाईजिनिस्ट

1. Dental Anatomy and terminology
 - A study of anatomy and terminology related to construction of dental applications.
2. Complete Dentures
 - Overview of complete denture construction.
 - Anatomy and physiology of the mouth and associated structures.
 - Artificial teeth for complete dentures.
3. Partial Dentures
 - Principles and major component parts for removable partial dentures .
 - Partially edentulous classification, principles of survey and design, cast design, contour soldering, tooth arrangement and wax-up, process and finishing.
4. Tooth Morphology
 - An introduction to tooth morphology and element of occlusion.
5. Dental Material
 - Physical and chemical properties of materials used in dental appliance construction.
 - Testing and comparisons of dental materials.
6. Fixed Prosthodontics
 - The lost wax method of constructing fixed dental restorations.
 - Occluding metal crowns will be constructed on models of articulated posterior dentitions.
 - Metal crowns, pontics.
7. Complete Dentures Construction
 - Complete dentures and post-processing occlusal refinement.
8. Partial Denture Construction
 - The study and construction of removable orthodontics.
 - Contouring of wires to complete various techniques in anchorage, retention and tooth movement.
 - Removable cast partial frameworks.
 - Prescriptions, principles of design, spruing techniques.
 - Processing in cold cure, pour and heat cure techniques.
9. Fixed Prosthodontics
 - Stress directing attachments in fixed partial dentures.
 - Designing metal structures for ceramodontal restorations.
 - Dental porcelains and aesthetic restorations.
 - Dental porcelains and ceramodontal techniques, maxillofacial appliances.

(I) PROSTHETIC AND ORTHOTIC TECHNICIAN / प्रोस्थो टेक्नीशियन

Prosthetics (Upper Extremity)

- (i) Classification by level of amputation. (ii) Medical consideration applied anatomy and pathological consideration
(iii) Classification of congenital skeletal limb deficiencies (iv) Prosthetic prescription (v) Amputee trainee (i) Components of upper extremity prostheses, control & harness systems. (ii) Fabrication principle & procedures for upper extremity prostheses (iii) Measurement fitting & alignment
(iv) Check-out & care of B.E. prostheses.
(v) Bio-mechanics of U.E. prostheses. (vi) Harness & control systems Below Elbow harnessing & this causes, shoulder amputee harnessing (vii) Clinical aspects of U.E. prosthesis (viii) Training in the use of U.E. prosthesis (ix) Electro-mechanical myoelectric and other externally powered prostheses (x) Study of publication sources for updating information on upper limb prostheses

Prosthetics (Lower Extremity)

Medical Subjects (i) Levels of amputation & limiting factor (lower extremity)

(ii) Psychological aspects of amputation (iii) Classification of congenital skeletal limb deficiencies.

(iv) Prosthetic / Orthotic assessment and evaluation techniques (v) Prosthetic prescription (vi) Immediate & early Prosthetic management

Technical (i) Prosthetic components below knee & above knee (ii) Examination of stump, measurement, cast taking POP modification, fabrication, alignment & fitting procedures for below knee & above knee amputations (this include prosthesis for partial foot, choparts, syme's below knee, through knee above knee amputations

(iii) Gait analysis of BK/ AK amputees fitted with prostheses. (iv) Check out of below knee & above knee prosthesis (v) Maintenance & care of prosthesis (vi) Hip disarticulation & Hemipelvectomy prosthesis (vii) Bio-mechanics of below knee, above knee & hip disarticulation prosthesis (viii) Fluid controlled prosthesis (ix) Modular & other modern types of prosthesis

Orthotic (Upper Extremity)

Functional anatomy of the hand

How to train the patients to use functional splint & arms braces.

Measurement, selection of materials & components, fabrication & fitting of the following:

- (i) Static fingers hand splints. (ii) Functional hand splints (iii) Functional arm braces (iv) Feeders (v) Special assistive devices (vi) Myoelectric & other externally powered upper extremity orthoses

Biomechanics of functional hand splints and arm Orthosis Orthotic (Lower Extremity)

Foot Orthoses

Medical - (i) Anatomy of Foot (ii) Orthotic - Prescription for different pathological condition, pathomechanics of foot & ankles.

Technical- (i) Shoes, boots & their components (ii) Shoe modifications, principles & procedures in clinical application (iii) Biomechanics of the foot

Ankle Foot Orthoses, K.O. KAFO, EKAFO, GIL, HKAFO-

Medical - (i) Pathomechanics Lower extremity (including foot, ankle, knee and hip.) (ii) Introduction to Orthotic management (iii) Orthotic prescription (iv) The influence of error in bracing upon deformity of lower extremity (v) Gait training

Technical- (i) Lower extremity orthotic components & functions. (ii) Principles of taking measurements, selection of components, fabrication, alignment fitting and check-out of orthoses. (iii) Analysis of Pathological & orthotic gait (iv) Study of publications sources for up- to-date information on lower extremity Orthoses.

(J) SpeechTherapist

Normal aspects of speech, language and communication :

1. **History and development of the profession of speech – language pathology.**
 - Major work activities of SLP.
 - Various settings of service delivery.
 - Other professions concerned with communication disorders.
2. **Human Communication**
 - Definition and components.
 - Distinctions and similarities between communication, speech and language.
 - Speech chain.
 - Functions of Communication, speech and language
 - Modes of communication.
 - Characteristics of good speech.
3. **The Physical mechanism of speech and language production.**
 - Anatomy and Physiology of respiratory system.
 - Respiration for life and speech.
 - Anatomy and physiology of laryngeal system.
 - Bases of pitch and loudness change mechanism.
 - Anatomy and physiology of articulatory system
 - Anatomy of the nervous system related to speech and language.
 - Speech as an overlaid function.
4. **Acoustic aspect of speech**
 - Source filter theory of speech production.
 - Harmonics, formants, transients and aperiodic energy.
 - Acoustic characteristics of normal voice and prosody.
5. **Interactive bases of human communication**
 - Social bases.
 - Cognitive bases.
 - Psychological bases.
6. **Normal development of communication**
 - Development of communicative intent.
 - Development of voice.
 - Development of Phonology.
 - Development of Semantics.
 - Development of Syntax.
 - Development Pragmatics.
 - Prerequisites for language and speech development.
 - Factors affecting language and speech development.
 - Theories of language acquisition – Innate Vs Acquired – a brief introduction
 - Models of speech production.
 - Stages of language and speech development.
 - Speech and language skills of infants, toddlers, pre-schoolers, school-going children and adolescents.

Speech and language disorder

1. **Definitions, cause and characteristics of :**

- a. Developmental language disorder
- b. Articulation disorders
- c. Fluency disorders
- d. Voice disorders
- e. Cerebral palsy
- f. Cleft lip and palate
- g. Aphasia
- h. Learning disability

2. **General principles of assessment and intervention**

Definitions and goals of assessment and intervention.

Basic procedures in assessment and intervention (interview, informal and formal procedures).
Report writing and counselling – an introduction.
Informal assessment of pre-requisites for language oral peripheral mechanism, child directed

(K) रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन

Basic sciences

Applied Anatomy & Physiology of all malignant Tumors of the human body.

Oral Cavity, Pharynx, Larynx, Oesophagus, G.I. Geneto urinary system, Respiratory systems.

The pathology of the tumors.

1. Radiotherapy Machines: Superficial X-Ray therapy, orthovoltage therapy or Deep X-Ray therapy, Mega voltage therapy Van De graph Generator, Linear Accelerator, Betatron Cyclotron, Machines, using Radio nuclides, Cobalt- 60 units, Caesium- 137 Units Source Housing Beam Collimation and Penumbra.

2. Radio effects of ionizing radiation & Radiation Protection Cell and its Constituents, Effects of radiation of cells, Cell Cervical Curves somatic effects, hereditary effects of Radiation in Man. Operational Limits, Dose Limits for Radiation Workers, Dose Limits to members of Public, Personal Monitoring Film Badge, Radiation Hazard evaluation and control, Time, Distance and shielding, Planning of Teletherapy and Brach therapy Facility. Radiation Emergencies and Preparedness Radiation Safety during source transfer Units, National Regulatory Requirements for Radiotherapy equipment radiation Protection Survey.

3. Treatment Planning: Absorbed Dose, Depth Dose Distribution, Percentage Depth Dose, Initial Dos buildup, issue Air Ratio, Back Scatter factor, Scatter air ratio, Isodose, charts field size, wedge filters, Combination of Radiation fields Parallel opposed fields, Multiple fields, SSD Technique, SAD Technique wedge field Techniques, Uniform Dose Distribution, Tumour Dose, specification, Target volume, Treatment volume, Rotation Therapy, ARC therapy, Tissue compensators, design of Compensators, Compensators wedges, Patient positioning simulation Procedure, Treatment setup, Field Blocks & Field shaping as a function of Photon energy, skin sparing at oblique incidence, separation of adjacent fields, Electron Beam Therapy.

4) Nuclear medicine: Radio Nuclides in Nuclear Medicine Production of short lived radio nuclides, nuclear medicine isotopes used in viva & Vitro tests, decontamination procedures, scintillation camera, scanners and uptake studies, Program and other Gamma Camera ionizing imaging procedures, Hand & foot detectors. Flame hard and isotope waste wet & dry disposal procedures. Preparation for labeling and tragedy of isotopes in imaging.

RADIATION PHYSICS

1) Structure of matter: The Atom, the nucleus, elemental particles, Atomic Mass and energy units, extra nuclear structure, molecular structure and Bonds, Atomic Energy Levels, Nuclear Energy levels, Electro magnetic Radiation, Quantum Nature of Radiation. The Electro magnetic Spectrum, Radiation Energy, Particle Radiation.

2) The Fundamentals of Nuclear physics: Natural & Artificial Radio- Activity, Exponential Decay, and activity. The Half life and Radio Active Series, Growth of Radio Active Daughter (Equilibrium) Modes of Radioactive Decay, Alpha Decay, Beta decay, Internal conversion Isomeric Transition, Nuclear Reaction, The (Alpha, P) (Alpha, N) Reactions, Proton, Bombardment photo Disintegration, Fission, Fusion, Activation of Nuclides.

3) Production of X- Rays: The X- Ray Tube: - Anode, Cathode, Basic X- Ray, Circuit, Voltage rectification Diagnostic X- ray tube, The Ray X- ray tube physics of X- rays production, Bremsstrahlung Characteristics X-ray: Operating characteristics of X- ray tubes (ratings), KVP, MAS cooling time Modern, X-Ray tubes. Focal spot rotating Anodes, X- Ray tube housing special purpose, X- ray tubes, X- Ray timers, Calibration of timers- spinning top. Quality controls of an X- Ray installation.

4) Interaction of X- Rays & R- Ray with matter: Ionization, Beam, attenuation, Half value layer, Linear attenuation co- efficient Mass attenuation co- efficient photoelectric adsorption, Compton Absorption and coherent scattering pair production stopping power of medium penetration of charged particles through matter.

5) The Radio logic Examination: The primary Radio logic image, Radiographic, Images Radiographic and Fluorescent screens, Image Amplifying systems, Radiographic film, Grids, Factors effecting the Radio logic Image, Characteristics curve of film, Dark room film, automatic film processors.

6) Radiation Quantities and Units: anode, X- ray housing special purpose X- Ray Tubes, X- ray timers, Activity, Kerma, Exposure, Absorbed Dose, Dose equivalent dose.

7) Principles of Radiation detection and Monitoring Devices: Using a generator, elution procedure with BARC MO- TC Generator, production of TC- 99 M., Localization Mechanisms, General Methodology of preparing Radio pharmaceutical, Quality control of Radio- Pharmaceutical, TC- 99 M. leveled radio Pharmaceutical, Radio- Iodine leveled Compounds, Compounds leveled with other Radio Nuclides statistics of Radio- Isotopes counting Resolving time and loss of counts, sodium iodide, as X- ray detector, ER- Ray, spectrometer, preamplifier, Amplifier, Pulse storage Data processing and display, Thyroid uptake probe, Rectilinear scanner, Gamma Camera, Collimator performance, Collimator detector sensitivity, Collimator properties, pin hole and multi channel collimators, Gamma Camera performance tests, Hines reference, Phantom and Bar Phantoms. Dynamic perfusion Scanning procedure of thyroid Brain, lung, Bone, Kidney, Liver, Spleen, Pancreas, and Myocardial imaging Radionuclide Therapy.

(L) Anaesthesia Technician

1. Preliminary knowledge of basic principles of anaesthesia equipments. (Gas pipeline system, oxygen cylinders, anaesthesia machine, various circuits tubes, vaporizers, monitors, ventilators.)
2. Basic knowledge of drugs commonly used in anaesthesia practice (in OT, ICU), resuscitation.
3. Cleaning & sterilization of the equipments used routinely.

4. To assist the anaesthesiologist in preparing the patient for anaesthesia. And intra and post-operative care for the patient.
5. To assist the anaesthesiologist in ICU. (Care of the unconscious patient)
6. To learn and assist the anaesthesiologist during CPR.
7. Documentation of anaesthesia record.

Operation Theatre Technician Topics for Anaesthesia:

1. Introduction and types of anaesthesia.
2. General anaesthesia – anaesthetic gases and volatile anaesthesia agent.
3. Equipment for general anaesthesia – anaesthetic machine & other instrument preparation and arrangement.
4. Drugs used for pre-operative, intra operative and post-operative medication.
5. Arrangement drugs and other equipment in O.T.
6. Regional Anaesthesia – spinal, epidural, nerve & plexus blocks.
7. Preparation and arrangement for regional anaesthesia.
8. Clinical observation and identification of sign and symptoms of shock, allergic reactions respiratory distress & assistance in other emergency conditions.
9. Requirements and assistance in conduct of anaesthesia intensive therapy unit and resuscitation.
10. Intravenous infusion solutions and blood transfusion therapy.
11. Pre-operative check-up, and preparation of patient for anaesthesia.
12. Post-operative observation and care of patient.
13. Maintenance, care and sterilization of anaesthesia equipments.
14. Care, maintenance and use of monitoring equipment used in anaesthesia.
15. Record keeping and maintenance of record of drugs and patient anaesthesia record.

(M) EEG Technician

(1) Basic Human Sciences, (2) Introduction of neuroscience, (3) Electroneurodiagnostic technology, (4) EEG instrumentation, (5) Electroneurodiagnostics, (6) Neurological disorders, (7) EEG recording, (8) Electrocardiography, (9) EEG lab management, (10) Clinical correlations, (11) EEG clinical practicum.

(N) CSSD Technician

(1) Introduction to CSSD, (2) Sterilization Techniques, (3) Infection Control, (4) Medical Terminology, (5) Sterile Supply Management, (6) Sterilizer Operation and Maintenance, (7) Quality Control in CSSD, (8) Documentation in CSSD, (9) CSSD and Infection Control Coordination.

(O) लेब अटेंडेंट/ डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट/ओ.पी.डी. अटेंडेंट/ड्रेसर ग्रेड-2

बायोलॉजी, केमिस्ट्री तथा फिสิกस में हायर सेकेंडरी (10+2 प्रणाली) स्तर का पाठ्यक्रम

भुगतान प्राप्त करने के लिये स्वयं के बैंक खाते का विवरण

1. परीक्षा का नाम :
2. परीक्षा की तिथि/पॉली/समय :
3. परीक्षा केन्द्र का नाम :
4. परीक्षार्थी का नाम (हिन्दी में) :
(जैसा बैंक खाते में है)
5. परीक्षार्थी का नाम (अंग्रेजी में) :
6. परीक्षार्थी का रोल न. :
7. बैंक का नाम :
8. बैंक शाखा का नाम :
9. बैंक का IFS Code :
10. बैंक खाता क्रमांक :
11. परीक्षार्थी गृह जिला :
12. गृह जिले से परीक्षा केन्द्र की दूरी :
13. यात्रा का प्रकार :
14. यात्रा व्यय की राशि :
15. पत्र व्यवहार का पता :
16. ई-मेल :
17. फोन न. :

संलग्न :-

1. बैंक पास बुक की स्वप्रमाणित छायाप्रति (प्रथम पृष्ठ) ।
2. यात्रा के दौरान उपयोग किये गए टिकिट (मूल प्रति) ।
3. जाति/ द्वियांगता प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।
4. टीएसी के प्रथम भाग की स्वप्रमाणित छायाप्रति ।

दिनांक.....

हस्ताक्षर

निवास का पूर्ण पता

.....

प्रति,

.....

.....

मध्यप्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय जैसे:-बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

परीक्षा का नाम :- समूह-5 के अन्तर्गत नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडीकल स्टाफ व अन्य समकक्ष पदों हेतु

संयुक्त भर्ती परीक्षा- 2024

1. आवेदक का नाम :-
2. पिता का नाम :-
3. माता का नाम :-
4. लिंग (पुरुष/महिला) :-
5. जन्मतिथि :-
6. आदिम जनजाति का नाम :-
7. वर्ग (विकलांग/भूतपूर्व सैनिक) :-
8. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का विवरण :-
9. कार्यअनुभव का विवरण :-
10. विशेष/अन्य विवरण :-
11. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन नम्बर:-
12. आवेदन प्रस्तुत करने वाले विभाग का नाम:-
13. पदों के लिये विभागों के चयन का विकल्प(नियम पुस्तिका के अध्याय-02 अनुसार) :-

आवेदक का
नवीनतम पासपोर्ट
आकार का
फोटोग्राफ संलग्न
करे

स.क्र.	विभाग का नाम	पदनाम
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

* पृथक-पृथक विभागों के पदों के लिए पृथक-पृथक संबंधित विभाग को आवेदन किया जाना होगा।

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर :-.....

दिनांक :-

निवास का पता :-

मोबाईल/दूरभाष नं. :-